

अध्याय-I
राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य राजकोषीय समुच्चयों तथा इसकी आधारित संरचना की रूपरेखा के पिछले रुझानों के प्रति, बेंचमार्किंग द्वारा वित्त को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। **परिशिष्ट 1.1** में जम्मू एवं कश्मीर सरकार की रूपरेखा तथा मुख्य संरचना से संबंधित विकास संकेतक दिए गए हैं तथा **परिशिष्ट 1.2** में राज्य सरकार के वित्त लेखाओं की संरचना तथा रूपरेखा दी गई है जिस पर यह प्रतिवेदन आधारित है, **परिशिष्ट 1.3** में राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति की रूपरेखा संक्षिप्त में दी गई है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) राज्य पाकिस्तान तथा चीन से अपनी सीमाओं से जुड़े होने के साथ-साथ भौगोलिक रूप से 2.22 लाख वर्ग कि.मी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें चीन तथा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ 1.21 लाख वर्ग किमी. का क्षेत्र शामिल है। जम्मू एवं कश्मीर देश के भौगोलिक क्षेत्र का 6.76 प्रतिशत क्षेत्र होने के साथ भारत का छठा बड़ा राज्य है। राज्य के तीन क्षेत्र अर्थात् कश्मीर, जम्मू तथा लद्दाख, 22 जिलों में व्यवस्थित है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संघीय क्षेत्रों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख (31 अक्टूबर 2019) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 1.28 करोड़ (2019) थी। वर्ष 2001-11 के दौरान जनसंख्या में दशकीय विकास दर, वर्ष 1991-2001 की तुलना में 29.43 प्रतिशत से घटकर 23.71 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2001 के मुकाबले वर्ष 2011 में, राज्य की प्रतिवर्ग किमी. आबादी 100 प्रतिवर्ग किमी. से बढ़कर 124 प्रतिवर्ग किमी हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में भी 2001 में 892 से 889 तक गिरावट दर्ज की गई।

वर्ष 2001 से 2011 के दशक के दौरान राज्य की साक्षरता दर, राष्ट्रीय स्तर के 64.84 प्रतिशत से 72.99 प्रतिशत के प्रति 55.52 प्रतिशत से 67.16 प्रतिशत तक बढ़ गई।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

दी गई समय सीमा के भीतर आधिकारिक तौर पर स्वीकृत राज्य के उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं की एक बाजार लागत जीएसडीपी होती है। जीएसडीपी की विकास दर, राज्य की आबादी के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। चालू कीमतों तथा स्थिर कीमतों पर, भारत की जीडीपी तथा जम्मू एवं कश्मीर की जीएसडीपी की वार्षिक विकास दर की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.1: जीडीपी के साथ-साथ जीएसडीपी का तुलनात्मक विवरण


वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
चालू कीमतें					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य की जीएसडीपी (₹करोड़ में)	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441*
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
पड़ोसी राज्यों की वृद्धि दर@					
पंजाब	6.91	9.85	9.46	12.21	8.92
हिमाचल प्रदेश	9.51	10.09	9.53	9.13	11.20
लगातार मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत की जीडीपी (₹करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,798,57	1,40,77,586
जीडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य की जीएसडीपी* (₹करोड़ में)	82,372	97,001	1,00,730	1,07,580	1,14,639
जीएसडीपी की विकास दर (प्रतिशत)	(-)3.22	17.76	3.84	6.80	6.56

(स्रोत: सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की वेबसाइट भारत सरकार, * आर्थिक निदेशालय तथा सांख्यिकी विभाग, जम्मू एवं कश्मीर @संबंधित महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय)

1.1.1 राजकोषीय संव्यवहारों का सार

चार्ट 1.1: सरकार के लेखाओं की संरचना

सरकारी वित्त में निम्नलिखित सम्मिलित है:



(स्रोत:- बजट नियम पुस्तिका पर आधारित)

चालू वर्ष (2018-19) के साथ-साथ पिछले वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहार का सार (परिशिष्ट 1.4 तथा 1.5) में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2017-18	2018-19		2017-18	2018-19
भाग (क) राजस्व			भाग (क) राजस्व		
राज्य के स्वयं के कर राजस्व	9,536	9,826	सामान्य सेवाएं	16,888	22,850
राज्य के स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,362	4,349	सामाजिक सेवाएं	13,117	17,931

संघीय करो/ शुल्कों का हिस्सा	11,912	13,990	आर्थिक सेवाएं	10,911	15,309
भारत सरकार से अनुदान	22,702	23,066	-	-	
राजस्व प्राप्तियां	48,512	51,231	राजस्व व्यय	40,916	56,090
भाग (ख) पूंजीगत			भाग (ख) पूंजीगत		
-	-	-	पूंजीगत परिव्यय	10,353	8,413
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	4	4	ऋण तथा अग्रिम वितरित	25	69
लोक ऋण प्राप्तियां ^{\$}	25,557	25,336	लोक ऋण का पुनर्भुगतान ^{\$}	22,490	20,647
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां [@]	15,122	18,261	लोक लेखा संवितरण [#]	15,286	9,656
आरंभिक शेष	429	554	अंत नकद शेष	554	511
कुल	89,624	95,386		89,624	95,386


(स्रोत: वित्त लेखें)

@# ये निवेश के नकद संव्यवहार को तथा विभागीय शेष को शामिल नहीं करता है। (@₹20,846 करोड़ की प्राप्तियां, #₹20,846 संवितरण) संव्यवहार के शुद्ध प्रभावों को आरंभिक व अंत शेष में समीकरण अगली पंक्ति के नीचे दिया गया है।

\$अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

परिशिष्ट 1.5 चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की रचना तथा निधियों का प्रयोग नीचे दिए गए चार्ट 1.2 व 1.3 में दिया गया है:-



1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

जम्मू एवं कश्मीर में राजकोषीय सुधारों का मार्ग

जम्मू एवं कश्मीर राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14 अगस्त 2006 को लागू हुआ। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2009-10 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक कम करना था। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत सरकार पर आवश्यक दायित्व निर्धारित किए गए तथा उसमें संशोधन किया गया तथा इसके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 1.6** तथा **परिशिष्ट 1.7** में क्रमशः दी गई है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 14वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि पर 11.78 प्रतिशत निर्धारित की थी। विकास, राजस्व तथा राजकोषीय प्रबंधन के संबंध में, सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, बजट में प्रमुख राजकोषीय परिवर्तों दिए गए हैं तथा राज्य द्वारा बजट में यथा अनुमानित नीचे दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय परिवर्तियों के अनुमान किए गए लक्ष्य से परिवर्तन
(जीएसडीपी का प्रतिशत)


वित्तीय परिवर्ती	2018-19				
	14वे वि.आ के अनुसार अनुमान	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	वास्तविक	अनुमानों से वास्तविक का परिवर्तन	
				14वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष(+)	(-) 8.66	8.31	(-) 3.15	(-) 5.51	(-) 11.46
राजकोषीय घाटा/ जीएसडीपी	3	6.15	8.64	5.64	2.49
जीएसडीपी के प्रति कुल बकाया ऋण (वित्तीय देयताएं) का अनुपात	47.30	-	51.22	3.92	-

जीएसडीपी के प्रति राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों तथा बजट में निर्धारित उद्देश्य के अनुसार नहीं रखा जा सका था। बजट अनुमानों में राजस्व अधिशेष के प्रति राजस्व घाटा था। 51.22 प्रतिशत पर जीएसडीपी के प्रति बकाया देयताओं (राजकोषीय देयताओं) का अनुपात 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक था।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविक

बजट के दस्तावेज, एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय का अनुमान उपलब्ध कराते हैं। जहां तक संभव हो, राजस्व तथा व्यय के अनुमान सही दिए जाए, ताकि कारणों का पता लगाने के लिए भिन्नताओं का विश्लेषण किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों हेतु बजट अनुमान व वास्तविक नीचे दिए गए हैं:

चार्ट 1.4: चयनित राजकोषीय मानक: 2018-19 के लिए वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान



(स्रोत:- बजट तथा वित्त लेखें)

राज्य सरकार वास्तविक के साथ-साथ बजट के उद्देश्य के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

₹64,269 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के रूप में राजस्व प्राप्तियों के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹51,231 करोड़ (79.71 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण सहायता अनुदान में कम राशि प्राप्त होना था।

₹5,761 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्तियों के प्रति गैर-कर प्राप्तियां ₹4,349 करोड़ (75.49 प्रतिशत) थी, जिसका मुख्य कारण विद्युत के अंतर्गत कम प्राप्तियां होना था।

₹51,185 करोड़ के बजट प्रावधान से राजस्व व्यय ₹4,905 करोड़ अधिक था, क्योंकि ग्रामीण विकास एवं परिवहन क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं में व्यय अधिक हुआ।

सभी तीनों सेवाओं में यानि सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कम व्यय होने के कारण, ₹26,400 करोड़ के बजट अनुमान के प्रति ऋणों तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय ₹8,482 करोड़ पर, ₹17,918 करोड़ तक कम था।

सातवें वेतन आयोग के लागू होने तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया भुगतान के कारण राज्य सरकार राजस्व अधिशेष का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी जिसके कारण ₹4859 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ तथा उच्च राजस्व व्यय के प्रति कम राजस्व प्राप्तियों ने भी राजकोषीय घाटों तथा प्राथमिक घाटों को पूरा करने के उद्देश्य को प्रभावित किया।

1.1.4 उत्थान अनुपात

उत्थान अनुपात मूल परिवर्ती आधार में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्ती में लचीलेपन या प्रतिक्रियाशीलता के स्तर को दर्शाता है। जीएसडीपी के प्रति राजस्व प्राप्तियां, राज्य के स्वयं के कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्थान अनुपात नीचे दिया गया है:-

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों राज्य के स्वयं के कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का जीएसडीपी की तुलना में उत्थान अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीएसडीपी (₹करोड़ में)	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)					
वर्ष के दौरान आरआर (₹करोड़ में)	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.68	23.64	17.31	15.56	5.60
जीएसडीपी के साथ आरआर का उत्थान	2.32	1.24	2.47	1.49	0.49
राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर)					
वर्ष के दौरान एसओटीआर (₹करोड़ में)	6,334	7,326	7,819	9,536	9,826
एसओटीआर की विकास दर (प्रतिशत में)	0.97	15.66	6.73	21.96	3.04
जीएसडीपी के साथ एसओटीआर का उत्थान	0.34	0.82	0.96	2.10	0.26
कुल व्यय (टीई)					
वर्ष के दौरान टीई (₹करोड़ में)	34,550	43,845	48,174	51,294	64,572
टीई की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.04	26.9	9.87	6.48	25.89
जीएसडीपी के साथ टीई का उत्थान	3.14	1.41	1.41	0.62	2.25
राजकोषीय देयताएं (एफएल)					
वर्ष के अंत में एफएल (₹करोड़ में)	48,314	55,358	62,219	68,217	79,105
एफएल की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.15	14.57	12.39	9.64	15.96
एफएल के उत्थान साथ वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.83	0.76	1.77	0.91	1.39


(स्रोत: संबंधित वर्षों का वित्त लेखा)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के जीएसडीपी के संबंध में एसओटीआर, आरआर में उत्थान कम था, क्योंकि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान एसओटीआर तथा आरआर की वृद्धि दर कम थी। वर्ष 2017-18 को छोड़कर वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक जीएसडीपी की वृद्धि दर की अपेक्षा टीई की वृद्धि दर अधिक रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसओटीआर तथा आरआर की अपेक्षा देयताओं एवं टीई का उत्थान अधिक था।

1.2 वित्त लेखाओं 2018-19 के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं, जो राज्य सरकार के संसाधनों को सृजित करती है। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्वों, गैर-कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से मिलकर बनी होती है। पूंजीगत प्राप्तियां विविध पूंजीगत प्राप्तियों जो विनिवेश, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेने) तथा भारत सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों की प्राप्ति के साथ-साथ लोक लेखा से प्राप्त उपार्जित से मिलकर बनी होती है। तालिका 1.2 पूर्व वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखाओं में दर्ज है, राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है (परिशिष्ट 1.4) जबकि चार्ट 1.6 वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य प्रप्तियों के विभिन्न घटकों में रुझानों को प्रदर्शित करता है; चार्ट 1.5 में चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की रचना दर्शाता है जो नीचे दी गई है:

चार्ट 1.5: संसाधनों के घटक तथा उप घटक




* (लोक लेखा निवल प्राप्तियां (₹8,605 करोड़) = लोक लेखें प्राप्तियां (₹39,107 करोड़) कम/- लोक लेखा संवितरण (₹30,502 करोड़)।

** जीएसटी लगने के कारण, प्राप्त हुए ₹1,462 करोड़ के मुआवजे को शामिल नहीं किया गया है। (सहायता अनुदान में शामिल है)

अर्थोपाय अग्रिम सहित।

चार्ट 1.6: राज्य के संसाधनों में प्रवृत्तियां

(₹करोड़ में)




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 में, राजस्व प्राप्ति तथा कुल प्राप्ति, बढोत्तरी की प्रवृत्ति को दिखाती है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्ति में ₹2,719 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 से 2015-16 में लोक लेखा निवल प्राप्ति की भी बढ़ी हुई प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। हालांकि, यह वर्ष 2015-16 में ₹4,312 करोड़ से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹2,396 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2017-18 के दौरान प्रेषण के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण ₹164 करोड़ के भुगतान का अधिशेष था। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रेषणों की प्राप्ति की तुलना में प्रेषणों के कम वितरण के कारण तथा पूर्व वर्ष की तुलना में लघु बचतों की प्राप्ति में वृद्धि के कारण निवल लोक लेखा प्राप्ति बढ़कर ₹8605 करोड़ हो गई।

पूंजीगत प्राप्ति में वर्ष 2014-15 में ₹10,262 करोड़ से वर्ष 2017-18 में ₹25,561 करोड़ तक की वृद्धि हुई। पूंजीगत प्राप्ति वर्ष 2017-18 में ₹25,561 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹25,340 करोड़ हुई। वर्ष 2014-15 में 67.13 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 60.15 प्रतिशत तक घटना, कुल प्राप्ति के प्रति राजस्व प्राप्ति का अनुपात गिरावट के रुझान को दिखाता था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्ति में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट 1.7: वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)




पिछले वर्ष के संबंध में, वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति में ₹2,719 करोड़ की वृद्धि से ₹48,512 करोड़ से ₹51,231 करोड़ तक (पांच प्रतिशत) की वृद्धि हुई, वर्ष 2018-19 के दौरान, पूंजीगत प्राप्ति में ₹221 करोड़ की कमी के कारण ₹25,561 करोड़ से ₹25,340 करोड़ तक घटी तथा निवल लोक लेखा प्राप्ति में वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान ₹8,769 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल राज्य संसाधनों (₹85,176 करोड़) में राजस्व प्राप्ति 60 प्रतिशत, पूंजीगत प्राप्ति 30 प्रतिशत तथा निवल लोक लेखा प्राप्ति 10 प्रतिशत हैं।

1.3 राजस्व प्राप्ति

2014-15 से 2018-19 की अवधि में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति तथा रचना को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा नीचे भी दिखाया गया है:

चार्ट 1.8: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्ति की रचना


(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

चार्ट 1.9: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की रचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 77.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई (₹28,939 करोड़ से ₹51,231 करोड़)। संघ सरकार से हस्तांतरित संघीय करों तथा शुल्कों तथा सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 71.28 प्रतिशत बनता था तथा 2018-19 में यह बढ़कर, 72.33 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा राजस्व प्राप्तियों का 21.89 प्रतिशत बनता था, जो 2018-19 में कम होकर 19.18 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2014-15 में गैर-कर राजस्व का हिस्सा 6.84 प्रतिशत बनता था, जो 2018-19 में बढ़कर 8.49 प्रतिशत हो गया।

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹2,719 करोड़ (5.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः ₹2,078 करोड़ (17.44 प्रतिशत) की संघीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹364 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹290 करोड़ वृद्धि के कारण थी। एसओटीआर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझानों को नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.5: एसओटीआर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में रुझान

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹करोड़ में)	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
आरआर की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.68	23.64	17.31	15.56	5.60
राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) (₹करोड़ में)	6,334	7,326	7,819	9,536	9,826
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (एसओटीआर) (प्रतिशत)	0.97	15.66	6.73	21.96	3.04

2014-15 से 2018-19 के दौरान दोनों राजस्व प्राप्तियों तथा राज्य के स्वयं के कर में वृद्धि दर घटती-बढ़ती रही। चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर 5.60 प्रतिशत थी, जो विशेष श्रेणी वाले राज्य (एससीएस) में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी (परिशिष्ट 1.1)। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि संघीय करो/ शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि के कारण थी।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करो तथा सहायता अनुदान में राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता है, संसाधनों को जुटाने के संदर्भ में राज्य के निष्पादन का, जिसमें उसके स्वयं के कर तथा गैर-कर स्रोत शामिल है, के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के स्वयं के कर तथा स्वयं के गैर-कर प्राप्तियां 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.6: 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के साथ वास्तविक कर तथा गैर-कर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशतता अंतर	
				14वें के वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	बजट अनुमानों पर
स्वयं के कर राजस्व	13,221	11,194	9,826	(-26)	(-12)
स्वयं के गैर-कर राजस्व	1,092	5,761	4,349	298	(-25)
कुल	14,313	16,955	14,175		

राज्य के स्वयं के कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों से 26 प्रतिशत तथा बजट अनुमान के 12 प्रतिशत तक कम रहा। स्वयं के गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 298 प्रतिशत अधिक थी, परंतु बजट अनुमान से 25 प्रतिशत कम थी।

इस प्रकार राज्य सरकार बजट अनुमान में स्वयं द्वारा निर्धारित अनुमानों को प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹14,175 करोड़ के राज्य के स्वयं के संसाधन (स्वयं के कर राजस्व तथा स्वयं के गैर-कर राजस्व) इसके ₹38,186 करोड़ की प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सहायिकी) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। (पैरा 1.6.3)

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संबंध में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिए गए हैं जो वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझान को दर्शाते हैं।

तालिका 1.7: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री कर	4,602	5,277	6,012	4,493	1,757
जीएसटी	0	0	0	2611	5,134
राज्य आबकारी	466	533	569	833	1,291
स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क	248	264	228	307	265
वाहनों पर कर	132	145	150	228	239
विद्युत पर कर तथा शुल्क	313	429	90	179	189
भू-राजस्व	15	12	17	29	41
अन्य	558	666	753	856	910
कुल	6,334	7,326	7,819	9,536	9,826

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

बिक्री कर तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹2,289 करोड़ बढ़ने के कारण, ₹4,602 करोड़ से ₹6,891 करोड़ हो गया जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में 2018-19 में ₹213 करोड़ की कमी हुई।

राज्य उत्पाद-शुल्क के संग्रहण में उपरोक्त अवधि में ₹466 करोड़ से ₹1,291 करोड़ तक 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांक 01-09-2017 से शराब की बिक्री पर 31.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त निर्धारण फीस लगाने के कारण, पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में उत्पाद शुल्क में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के संग्रहण में ₹248 करोड़ से ₹307 करोड़ तक वृद्धि हुई जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यतः स्टाम्प की बिक्री में कमी के कारण संग्रहण में ₹42 करोड़ की कमी आई।

वाहनों पर एकत्रित कर में, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹132 करोड़ से ₹239 करोड़ तक 81.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाहन पर कर का संग्रह वर्ष 2017-18 में ₹228 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹239 करोड़ हो गया।


विद्युत पर कर तथा शुल्क 2014-15 में ₹313 करोड़ से वर्ष 2016-17 में घटकर ₹90 करोड़ हो गया, जो विद्युत शुल्क की दरों में 22 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कमी आने के कारण है तथा वर्ष 2016-17 में ₹90 करोड़ से वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹189 करोड़ हो गया।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) में ₹3,492 करोड़ (55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹290 करोड़ की वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के दौरान ₹9,536 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹9,826 करोड़ हो गया।

2014-15 से 2018-19 तक पड़ोसी राज्यों के साथ जीएसडीपी के लिए स्वयं के कर राजस्व की तुलना नीचे दी गई है:

चार्ट 1.10: जीएसडीपी के स्वयं के कर राजस्व की पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित महालेखाकर (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

जीएसडीपी के प्रति स्वयं के कर राजस्व अनुपात में, वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान पंजाब से कम था, लेकिन वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश से उच्चतर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर के जीएसडीपी के प्रति स्वयं के कर राजस्व (प्रतिशत) की स्थिति पड़ोसी राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से उच्चतर थी।

माल एवं सेवा कर

राज्य सरकार द्वारा, लागू माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम दिनांक 08 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्य को मुआवजा) अधिनियम-2017 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्यों को जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व के होने वाले

नुकसान हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा देगी। राज्य को देय, मुआवजे हेतु, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अंतिम रूप से प्राप्त राजस्व आंकड़ों की, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गणना की जाएगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2015-16) में राजस्व आंकड़ों को अंतिम रूप दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान ₹4,766.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। किसी भी वर्ष में, किसी राज्य के लिए अनुमानित राजस्व की वृद्धि दर की गणना (14 प्रतिशत वार्षिक) उस राज्य के आधार वर्ष के अनुसार की जाएगी।

आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए, अनुमानित राजस्व ₹7,061.48 करोड़¹ था। वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व ₹7,061.48 करोड़ के प्रति, वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटी के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जीएसटी में जमा किए गए एकत्रित करों सहित, जैसा कि तालिका 1.8 में दिया गया है, ₹5,391.86 करोड़ थी। जीएसटी के लागू होने के कारण ₹1,669.62 करोड़ के वास्तविक घाटे के प्रति राज्य सरकार ने ₹1,462 करोड़ तक मुआवजा प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹207.62 करोड़ की सीमा तक कम मुआवजा दिया गया। जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 1.8: जीएसटी से पूर्व तथा एसजीएसटी द्वारा एकत्रित, आईजीएसटी का अनंतिम प्रभाजन तथा संरक्षित राजस्व के प्रति भारत सरकार से प्राप्त मुआवजा (₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया जाने वाला मासिक राजस्व	जीएसटी से पूर्व एकत्रित	एकत्रित एसजीएसटी*	आईजीएसटी का अनंतिम प्रभाजन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कुल	आधिशेष / घाटा
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5+6)	8=1-(5+6)
अप्रैल-18	588.45	10.31	178.45	209.54	398.30	0	398.30	(-)190.15
मई-18	588.45	17.06	119.88	196.88	333.82	23.00	356.82	(-)231.63
जून-18	588.45	6.66	119.40	218.19	344.25	0	344.25	(-)244.20
जुलाई-18	588.45	7.29	134.41	515.79	657.49	147.00	804.49	216.04
अगस्त-18	588.45	12.71	129.70	225.78	368.19	0	368.19	(-)220.26
सितंबर-18	588.45	3.17	128.92	292.94	425.03	415.00	840.03	251.58

¹ वर्ष 2018-19 के लिए $4766.30 \times (1 + 14/100) \div 3 = 7061.48$ तथा एक महीने के लिए $7061.48 / 12 = 588.45$ होगा।

अक्टूबर-18	588.45	4.15	132.80	226.04	362.99	0	362.99	(-)225.46
नवंबर-18	588.45	2.42	127.03	444.38	573.83	292.00	865.83	277.38
दिसंबर-18	588.45	13.67	133.82	340.43	487.92	0	487.92	(-)100.53
जनवरी-19	588.45	157.98	159.36	226.75	544.09	282.00	826.09	237.64
फरवरी-19	588.45	2.72	137.61	167.37	307.70	0	307.70	(-)280.75
मार्च-19	588.53	19.49	180.44	388.32	588.25	303.00	891.25	302.72
कुल	7,061.48	257.63	1,681.82	3,452.41	5,391.86	1,462.00	6,853.86	(-)207.62

(* बिक्री कर विभाग, जे एंड के)

आईजीएसटी से अग्रिम प्रभाजन

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹5,134.23 करोड़ की राशि जीएसटी के रूप में एकत्रित की, जिसमें एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) के अग्रिम प्रभाजन के कारण ₹298 करोड़ की प्राप्त राशि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ₹1,462 करोड़ की राशि भी भारत सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त हुई है।

जीएसटी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा


माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्वचालित एकीकरण के आने के बाद यह लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए नमूना जांचो से आगे बढ़कर सभी संव्यवहारो की लेखापरीक्षा की जाए। डाटा तक आवश्यक पहुंच प्रदान किया जाना अभी बाकी है/ सभी जीएसटी संव्यवहारो से संबंधित डाटा, जो अभी पहुंच में नहीं है, जीएसटी प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा के मार्ग पर एक रुकावट है। इसलिए, वर्ष 2018-19 के लेखें एक अपवाद के रूप में नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर सत्यापित किए गए हैं, जैसा कि अभिलेखों के मानवीय रखरखाव होने पर किया जाता था।

1.3.1.2 गैर-कर राजस्व

पांच वर्षों के दौरान 2014-15 से 2018-19 गैर कर राजस्व की वृद्धि चार्ट 1.11 में दी गई है तथा तालिका 1.19 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में रुझानों को प्रदर्शित करती है।

चार्ट 1.11: गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)



(स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

तालिका 1.9: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज प्राप्तियां	14(8)	96(585)	19(-80)	19(0)	21(11)
लाभांश तथा लाभ	129(0)	54(-58)	45(-17)	0(-100)	0(0)
अन्य तथा कर प्राप्तियां	1,835(-33)	3,763(105)	4,008(7)	4,343(8)	4,328(-0)
वानिकी तथा वन्य जीवन	71	68	14	18	20
विद्युत	1,428	1,477	2,770	3,151	3,246
विविध*	166	204	221	266	273
अन्य**	170	2,014	1,003	908	789
कुल	1,978	3,913	4,072	4,362	4,349

*लोक निर्माण, चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा सवच्छता, पुलिस, गैर-लौह खनन तथा धातु उद्योग, फसल पैदावार, पशु पालन, विविध विभाग हैं।

**'अन्य' पेंशन तथा विविध, सामान्य सेवाएं, श्रमिक तथा रोजगार, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लेखन सामग्री तथा मुद्रण, लघु सिंचाई, ओ.एस.ए.पी. मत्सय पालन, शिक्षा आदि ग्राम तथा लघु उद्योग, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, मध्यम सिंचाई, पर्यटन तथा अन्य "अन्य" में शामिल हैं।

(पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत की वृद्धि को कोष्ठक में दर्शाया गया है।)

(स्रोत :- संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, गैर-कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में ₹2,371 करोड़ (120 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। "अन्य" श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त वर्ष 2015-16 में ₹2,014 करोड़ से 2018-19 में ₹789 करोड़ तक अबियाना (सिंचाई कर) का उन्मूलन होने के कारण, कम हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, गैर-कर राजस्व (₹4,349 करोड़) राजस्व प्राप्ति (₹51,231 करोड़) का 8.49 प्रतिशत बनता था, जो मुख्यतः मध्यम सिंचाई, लोक निर्माण तथा पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाओं के

अंतर्गत प्राप्ति में कमी होने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में ₹13 करोड़ की कमी दर्ज करता है।

विद्युत बिक्री से प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का एक मुख्य घटक होने के कारण, वर्ष 2014-15 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व का 72.19 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 74.63 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष 2018-19 के दौरान 3.01 प्रतिशत तक बढ़ गया।

“अन्य” श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तियों में ‘जल उपयोग प्रभार’ शामिल किया जाता है। जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2010, यथा संशोधित 25 अक्टूबर 2012 तथा 27 अक्टूबर 2014, के प्रावधान के अंतर्गत हाइड्रोपावर जनरेटिंग कंपनियों पर जल के प्रति क्यूसेक पर 25 पैसे की दर से जल उपयोग प्रभार लगाया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहण से प्राप्त आय को, सचिव, वित्त विभाग द्वारा रखरखाव किए जाने वाले एक अलग से बचत बैंक खाते में क्रेडिट किया जाना होता है तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक तथा बहु-उद्देश्यीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को स्थापित करने तथा राज्य में पहले से स्थापित हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की पुनः खरीद के लिए तथा विद्युत क्रय हेतु उसको प्रयोग में लाया जाना होता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने जल उपयोग प्रभार पर ₹674.97 करोड़ की राशि एकत्रित की जिसको विद्युत क्रय के लिए समायोजित किया गया तथा मार्च 2019 के अंत में बैंक खाते में शेष ₹4.34 करोड़ की राशि थी तथा उस पर अर्जित ब्याज को राज्य की समेकित निधि से बाहर रखा गया।

उपभोक्ताओं से विद्युत की न वसूल की गई लागत का भार तथा विद्युत की खरीद पर कम भुगतान के कारण देयताओं का सृजन।

राज्य में, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा संचालित किया जाता है क्योंकि डी-बंडलिंग तथा विद्युत सुधारों को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है (मार्च 2019)। इसलिए, विद्युत की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति पर प्राप्तियां एवं व्यय राज्य सरकार के लेखाओं का हिस्सा बनते हैं। विद्युत विकास विभाग के राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच लगातार बढ़ता अंतर सरकार के बजट में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंतुलन है तथा जिसके कारण संसाधनों की निकासी होती है, जिन्हें अन्यथा विकासात्मक परिव्यय के लिए परिनियोजित किया जा सकता था। विद्युत की खरीद के प्रति प्रदत्त राशि तथा विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्तियों के बीच गैप के रुझानों को नीचे दिया गया है:

तालिका 1.10: विद्युत विकास विभाग के कार्य निष्पादन में कमी

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विद्युत खरीदी की लागत #	लक्षित राजस्व	वास्तविक प्राप्त राजस्व	विद्युत खरीदी पर भुगतान की गई राशि
2014-15	5,207	2,630	1,428	4,404
2015-16	5,294	2,980	1,477	6,127
2016-17	5,619	4,741	2,770	6,132
2017-18	5,709	4,841	3,151	3,036
2018-19	7,167	5,042	3,246	5,265

(स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट तथा वित्त लेखें) # विभागीय आंकड़े

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान टैरिफ एकत्रित करने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत की बिक्री के कारण ₹5,042 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के प्रति ₹3,246 करोड़ की प्राप्ति हुई। विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व, सभी वर्षों में खरीद की लागत से कम था। राज्य द्वारा, इसके राजस्व एकत्रित करने के लक्ष्यों को खरीद की लागत से कम रखा गया। संबंधित वर्ष के दौरान विद्युत खरीद की लागत के प्रति राजस्व की कम उगाही राज्य सरकार पर भार के रूप में थी। विद्युत खरीद के मूल्य तथा विद्युत बिक्री से प्राप्त वास्तविक उगाही के बीच अंतर, परिचालन अक्षमताओं तथा विद्युत सुधारों को धीमी गति से लागू करने के कारण था। राज्य की एटी एंड सी संबंधी हानियां (50 प्रतिशत) बहुत अधिक हैं।

विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹7,167 करोड़ मूल्य की विद्युत खरीदी जिसके प्रति केवल ₹5,265 करोड़ का भुगतान किया। मार्च 2019 को विद्युत खरीद के बिलों का भुगतान न करने के कारण, विभाग पर ₹8,970 करोड़ की संचयी देयता थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने होने वाले राजस्व घाटे में ₹4,859 करोड़ तथा राजकोषीय घाटे में ₹13,337 करोड़ को दर्शाया, लेकिन बकाया विद्युत बिलों ₹8,970 करोड़ के कारण आस्थगित देनदारियों को ध्यान में रखने के बाद राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम बताया गया।

उदय के निहितार्थ

विद्युत वितरण कंपनियों (डीआईएससीओएम), ने वित्तीय बदलाव के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य डीआईएससीओएम की वित्तीय क्षमताओं तथा परिचालन को बेहतर बनाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की (नवंबर 2015)। राज्यों को डीआईएससीओएम ऋण का 75 प्रतिशत सितंबर 2015 को दो वर्षों में मिलना था अर्थात् डीआईएससीओएम ऋण का 50 प्रतिशत 2015-16 में तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में।

मार्च 2016 में, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बीच योजना उदय “उज्ज्वल डिस्कोम एश्योरेंस योजना” के अंतर्गत एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, तथा आरबीआई द्वारा गैर वैधानिक मौद्रिक अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड्स 7.07 प्रतिशत से 8.72 प्रतिशत की रेंज की दरों पर, मार्च 2022 से अक्टूबर 2031 की पूर्णता तिथि के साथ जारी बॉण्ड्स से ₹3,537.55 करोड़ (₹2,140 करोड़ 2015-16 में तथा ₹1,397.55 करोड़ 2016-17 में) की सीमा तक निधियां उधार ली। राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए इस धन राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की देयताओं का निपटान करने के लिए किया गया था। राज्य सरकार को बॉण्ड्स पर ब्याज का भुगतान करना होता है तथा ₹353.755 करोड़ की राशि वाले बॉण्ड्स भी वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक प्रत्येक वर्ष परिपक्व होंगे। वर्ष 2018-19 के दौरान उदय योजना के अंतर्गत जारी किए गए बॉण्ड्स पर ब्याज के प्रति राज्य सरकार ने ₹284.12 करोड़ का भुगतान किया।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए भारत सरकार ने मुख्य शीर्ष 1601 सहायता अनुदान के अंतर्गत एक उप मुख्य शीर्ष संचालित किया तथा योजनागत तथा गैर-योजनागत के वर्गीकरण को बंद कर दिया।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजना अनुदान	3343	11,135	12,776	--	--
केंद्रीय सहायता प्राप्त राज्य योजना स्कीमों/ केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	12,720	4,365	7,766	9,096	7,608
केंद्रीय तथा केंद्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	87	1,228	56	--	--
वित्त आयोग अनुदान (उत्तर विचलन राजस्व घाटा अनुदान)	--	--	--	11,849	12,952
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	--	--	--	--	204
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	--	--	--	--	126
एसडीआरएफ हेतु सहायता अनुदान	--	--	--	--	253
राज्यों को अन्य स्थानांतरण/ अनुदान	--	--	--	620	461

जीएसटी के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए मुआवजा	--	--	--	1,137	1,462
कुल	16,150	16,728	20,598	22,702	23,066
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	56	47	49	47	45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

संघीय सरकार से पूर्ण रूप से प्राप्त सहायता अनुदान में वर्ष 2014-15 के दौरान ₹16,150 करोड़ से वर्ष 2018-19 के दौरान ₹23,006 करोड़ तक की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता अनुदान वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 56 प्रतिशत से 45 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 तक ₹22,702 करोड़ से ₹23,066 करोड़ तक वृद्धि के कारण सहायता अनुदान में ₹364 करोड़ की वृद्धि हुई। रुझान इंगित करते हैं कि राज्य सरकार वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की 45 प्रतिशत की सीमा तक भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान पर निर्भर है।

1.3.3 राज्य के बजट के बाहर, राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार से अनुदानों के रूप में ₹23,066 करोड़ की राशि का राज्य बजट के माध्यम से भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, (राज्य में चल रही केंद्र सरकार की अन्य संस्थाओं/ स्वायत्त निकायों को जारी ₹105.42 करोड़ को छोड़कर) ₹895 करोड़ की कुल राशि वाली 55 से अधिक योजनाएं थी, जिन्हें वर्ष 2018-19 के दौरान, संघीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निधियन मोड़ के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर की क्रियान्वयन एजेंसियों (संस्थाओं, निगमों, समितियों आदि) के लिए जारी रखा गया। पिछले वर्ष की तुलना में, संघ सरकार से क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियों के प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण में ₹210 करोड़ अर्थात् 19 प्रतिशत की कमी हुई (परिशिष्ट 1.8)। ये निधियां, राज्य सरकार की बजटीय तथा लेखांकन प्रणाली से बाहर हैं। वर्ष के दौरान जहां धनराशि ₹100 करोड़ या इससे अधिक है, की योजनाओं को नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित मुख्य निधियां (अलेखापरीक्षित)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/ योजना का नाम	राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	निम्न के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्गत कुल निधियां
		2018-19
चेनाब घाटी विद्युत के लिए जम्मू एवं कश्मीर पीएमडीपी अनुदान के अंतर्गत पाकुल दुल एचईपी (हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना) के लिए केंद्रीय सहायता	चेनाब घाटी विद्युत परियोजना प्राइवेट लिमिटेड	100.00
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को सहायता	एनआईटी श्रीनगर।	191.59
कुल		291.59

(स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

1.3.4 केंद्रीय कर हस्तांतरण

केंद्रीय करों तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटक तालिका 1.13 में दिए गए हैं:

तालिका 1.13: केंद्रीय करों तथा शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी के घटक

(₹ करोड़ में)

संघीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के घटक	13वें वि.आ. एवं 14वें वि.आ. के अधिनिर्णय की अवधि				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निगम कर	1,833.83	2,976.52	3,623.44	3,824.16	4,910.14
सीमा शुल्क	849.30	1,507.13	1,558.67	1,260.30	1,000.82
आय कर	1,309.53	2,075.73	2,518.30	3,229.22	3,616.11
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.00	5.78	0.03	0.00	7.28
परिसंपातियों पर कर	4.95	0.60	8.29	-0.11	1.80
आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.04	0.06	0.00	0.00	25.57
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	479.58	1,247.66	1,779.87	2,020.60	665.11
सीजीएसटी	एनए	एनए	एनए	316.80	3,484.87
आईजीएसटी	एनए	एनए	एनए	1,260.68	278.10
कुल योग	4,477.23	7,813.48	9,488.60	11,911.65	13,989.80
राज्य की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण	15.47	21.84	22.60	24.55	27.31

एनए: 8 जुलाई 2017 से जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन होने के कारण लागू नहीं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

14वें वित्त आयोग ने सिफारिशों की हैं कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत बढ़ाया जाए। तदनुसार केंद्रीय कर (सेवा कर शामिल नहीं) की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 1.854 प्रतिशत निर्धारित था। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹13,989.80 करोड़ में संघीय करों का हिस्सा, वर्ष 2017-18 की तुलना में ₹2,078.15 करोड़ अधिक था। 13वें वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग के दौरान केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में अंतरण 15.47 प्रतिशत से बढ़कर 27.31 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि पूर्व वर्ष की तुलना में 17.45 प्रतिशत थी।

1.3.5 उपकर लगाकर सृजित निधियां

बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण कर अधिनियम 1996 के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा निर्माण की लागत पर, राज्य सरकार उपकर एकत्रित करती है। एकत्रित उपकर निर्माण करने वाले कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं पर व्यय किया जाना होता है। इस उद्देश्य के लिए, जम्मू एवं कश्मीर बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया। मार्च 2018 को ₹450.56 करोड़ का शेष था तथा वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड ने श्रमिक उपकर, मासिक अंशदान, ब्याज आदि के रूप में ₹155.12 करोड़ प्राप्त किए। इसमें से, दिनांक 31 मार्च 2019 को बोर्ड ने ₹532.94 करोड़ का अंतशेष छोड़ते हुए, श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा प्रशासनिक व्यय पर ₹72.74 करोड़ व्यय किए। श्रम उपकर के मद में कटौती की गई राशि सचिव, जम्मू एवं कश्मीर बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के नाम से आधिकारिक बैंक खाते में रखी जा रही है तथा सरकारी लेखा से बाहर रखी गई है।

1.3.6 केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्यों को सहायता अनुदान

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए अनुदानों के रूप में ₹6,178.37 करोड़ का अनुमान लगाया गया (2015-20)। इसके प्रति, ₹753.26 करोड़, ₹1,078.44 करोड़ ₹1,214.56 करोड़ तथा ₹1,373.11 करोड़ वर्ष 2015-19 के दौरान निर्गम/ आबंटित किए जाने थे। जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 1.14: निर्गम की तुलना में वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुमान

(₹ करोड़ में)

घटक					कुल अनुमान					कुल निर्गम	शेष
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)	125.30	224.71	258.41	297.71	906.13	शून्य	शून्य	शून्य	125.30	125.30	780.83
ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी)	373.96	585.73	675.15	779.40	2,414.24	367.72	शून्य	शून्य	203.81	571.53	1,842.71
एसडीआरएफ (राज्य के हिस्से सहित)	254.00	268.00	281.00	296.00	1,099.00	254.00	254.70	13.50	280.90	803.10	295.90
कुल	753.26	1,078.44	1,214.56	1,373.11	4,419.37	621.72	254.70	13.50	610.01	1,499.93	2,919.44

(स्रोत: 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

वर्ष 2015-19 के दौरान, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से ₹1,499.93 करोड़ की राशि (राज्य के हिस्से सहित) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई। 2018-19 के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा ₹610.01 करोड़ जारी किए गए जिसमें 2015-16 में यूएलबी के ₹125.30 करोड़, 2016-17 में आरएलबी की प्रथम किश्त के ₹203.81 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 में एसडीआरएफ के ₹252.90 करोड़ (भारत सरकार), ₹28 करोड़ (राज्य के हिस्से) का अनुदान शामिल हैं। (परिशिष्ट 1.9)

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली, ऋण से प्राप्तियां अर्थात्- भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण, कर्ज तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं। पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.15: प्राप्तियों की रचना तथा वृद्धि में रुझानों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत प्राप्तियां (सीआर)	10,262	14,649	20,768	25,561	25,340
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	3	4	19	4	4
लोक ऋण प्राप्तियां	10,259	14,645	20,749	25,557	25,336
बाजार ऋण	1,400	2,250	2,790	6,200	6,684
बॉण्ड्स	202	2,342	1,440	41	4
वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,197	1,045	646	668	402
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम	7,448	8,991	15,848	18,617	18,242
भारत सरकार से ऋण	12	17	25	31	4
लोक ऋण प्राप्ति के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	14	15	13	24	26
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि विकास दर (प्रतिशत)					
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से	71	43	42	23	(-01)
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से	(-25)	33	375	(-79)	0
चालू कीमतों पर जीएसडीपी से	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
पूंजीगत प्राप्तियों से	71	43	42	23	(-01)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

पूंजीगत प्राप्तियों में वर्ष 2014-15 में ₹10,262 करोड़ से 2018-19 में ₹25,340 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण बाजार ऋणों में (वर्ष 2014-15 में ₹1,400 करोड़ से 2018-19 में ₹6,684 करोड़ तक) तथा ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम में (वर्ष 2014-15 में ₹7,448 करोड़ से 2018-19 में ₹18,242 करोड़ तक की) वृद्धि होना था। 2018-19 में पूंजीगत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹221 करोड़ घटी जिसका मुख्य कारण वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम में कमी होना था।

लोक ऋण प्राप्तियों में 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹10,259 करोड़ से वृद्धि होकर ₹25,557 करोड़ हो गई तथा यह वर्ष 2018-19 में ₹25,336 करोड़ तक घट गई।

लोक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋणों के हिस्से में वर्ष 2017-18 में 24 प्रतिशत से 2018-19 में 26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान संवितरित तथा वसूल किए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.16: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, संवितरित तथा वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित ऋणों की मात्रा तथा वसूली	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आरंभिक शेष	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	86.80	93.79	76.24	24.75	69.15
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	2.69	4.09	19.36	4.41	4.24
अंत शेष*	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86	1,725.77
कुल जमा	84.11	89.70	56.88	20.34	64.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

*भिन्नता पूर्णांक करने के कारण है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, कुल बकाया ऋणों में ₹1,493.94 करोड़ से ₹1,725.77 करोड़ की वृद्धि में बढ़ते रुझान दर्ज किए गए। ₹1,725.77 करोड़ में से ऋणों के मुख्य हिस्से के रूप में ₹910.16 करोड़ की राशि सात संस्थाओं के प्रति बकाया थी। (मार्च 2019)। ₹910.16 करोड़² की बकाया राशि के प्रति, वर्ष 2018-19 में केवल ₹1.25 करोड़ ही वसूल किए गए। ऋणों की वसूली की स्थिति खराब होने के कारण वर्ष 2014-15 में ₹1,493.94 करोड़ से 2018-19 में ₹1,725.77 करोड़ तक बकाया शेष में लगातार वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली बकाया ऋणों की 0.25 प्रतिशत थी।

कृषि उद्योगों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम को दिए हुए ऋणों तथा अग्रिमों की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि मार्च 2018 को क्रमशः ₹7.94 करोड़ तथा ₹346.72 करोड़ के ऋण बकाया थे। वसूली की खराब प्रक्रिया के बावजूद, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹37.98 करोड़ तथा ₹30.00 करोड़ के नए ऋण जारी किए तथा वर्ष 2018-19 के दौरान इन संस्थाओं से कोई वसूली नहीं की गई। मार्च 2019 तक, ₹45.93 तथा ₹376.72 करोड़ राशि के ऋण कृषि उद्योगों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रति बकाया थे, जो क्रमशः ₹42.10 करोड़ तथा ₹1,148.12 करोड़ की उनके अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार कुल संचित हानिया थी। इस प्रकार, ऋणों की वसूली को

² (1) नगरपालिकाएं ₹5.17 करोड़ (शून्य वसूली), (2) विकास प्राधिकरण, श्रीनगर- ₹1.91 करोड़ (शून्य वसूली), (3) सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम (जम्मू-कश्मीर, एचपीएमसी लिमिटेड- ₹12.66 करोड़ (शून्य वसूली), (4) विद्युत बोर्ड, जेकेपीडीसी - ₹85.04 करोड़ (शून्य वसूली), (5) कृषि उद्योग- ₹45.93 करोड़ (शून्य वसूली), (6) जम्मू एवं कश्मीर उद्योग लिमिटेड - ₹382.73 करोड़ (₹1.25 करोड़), (7) जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड - ₹3,76.72 करोड़ (शून्य वसूली)

सुनिश्चित किए बिना ही राज्य सरकार द्वारा ऋणों की स्वीकृति दी गई थी। वसूली लगभग नगण्य होने के कारण सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए कि लेखें सही स्थिति दर्शाते हैं, इन लेखाओं को पूंजीगत व्यय की जगह राजस्व व्यय में अनुदानों/सहायिकियों के रूप में बुकिंग करने विचार कर सकती है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आंतरिक ऋण के रूप में ₹25,332 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान ₹6,684 करोड़ का बाजार ऋण तथा वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से प्राप्त ₹402 करोड़ का ऋण शामिल था जो पिछले वर्ष के ₹25,526 करोड़ की आंतरिक ऋण प्राप्तियों से ₹194 करोड़ कम था। बाजार उधारी की प्रवृत्तियां पैराग्राफ 1.10 में विस्तृत रूप से दी गई है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋणों तथा अग्रिमों में 2017-18 में ₹31.60 करोड़ की राशि में से वर्ष 2018-19 में ₹3.94 करोड़ तक घटने के कारण ₹27.66 करोड़ तक की कमी हुई तथा वर्ष के दौरान ₹117 करोड़ की राशि का पुनर्भुगतान किया गया।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

राज्य के लोक लेखाओं में जमा की गई राशियों के संबंध में सरकार एक संरक्षक या बैंकर के रूप में कार्य करती है तथा प्रत्ययी देयताओं को वहन करती है। लोक लेखाओं के प्रमुख घटक राज्य भविष्य निधि, बीमा/ पेंशन बीमा निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम हैं। इसके अलावा, सरकारी लेखाओं के लोक लेखें खंड का उपयोग ट्रांज़िटररी को रिकॉर्ड करने तथा उन्हें उपयुक्त प्राप्ति या लेखें के भुगतान शीर्ष में नकद शेष सव्यंवाहार के रूप में उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उचंत तथा विविध तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सव्यंवाहारों के माध्यम से पारित किया जाता है। निम्न तालिका 1.17 लोक लेखाओं के विभिन्न भागों के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों में प्रवृत्तियों को दर्शाती हैं।

तालिका 1.17: लोक लेखा रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लोक लेखें के घटक	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से ऊपर प्राप्तियों की अधिकता	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
लघु बचते (राज्य भविष्य निधि पेंशन/ बीमा निधि)	5,032	8,858	3,476	3,534	1,556	5,324
आरक्षित निधियां	419	695	129	373	290	322
जमा	4,894	4,914	3,810	4,360	1,084	554
प्रेषण	934	2,741	3,889	740	(-)2,955*	2,001

नकद शेष निवेश लेखा में प्राप्तियां	15,576	20,846	15,576	20,846	0	0
अन्य उचंत तथा विविध	3,842	1,053	3,981	649	(-139)	404
कुल	30,697	39,107	30,861	30,502	(-164)	8,605

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

*प्रेषणों के अंतर्गत पिछले वर्ष के लेखें में समायोजन/ गैर-समायोजन के कारण प्राप्तियों की अधिकता से ज्यादा संवितरण किया गया था।

लोक लेखाओं की प्राप्तियां 2017-18 में ₹30,697 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹39,107 करोड़ हो गई, पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः प्रेषणों के अंतर्गत कम संवितरण के कारण वर्ष 2017-18 में ₹30,861 करोड़ से वर्ष 2018-19 में ₹30,502 करोड़ राशि के संवितरणों में भी कमी हुई। 2017-18 में प्राप्तियों पर संवितरण की अधिकता ₹164 करोड़ थी जो लघु बचतों (सातवें वेतन आयोग से संबंधित बकाया का जीपीएफ में हस्तांतरण के कारण) के अंतर्गत प्राप्ति में वृद्धि होने के कारण यह 2018-19 के दौरान ₹8,605 करोड़ तक संवितरण पर प्राप्तियों की अधिकता में परिवर्तित हो गई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग


राज्य अपने शासकीय कार्यों का निष्पादन करने, तथा आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के वितरण के स्तर को अनुरक्षित रखने, पूंजीगत व्यय, तथा निवेश द्वारा इन सेवाओं के प्रसार में विस्तार करने तथा ऋण सेवा दायित्वों का निर्वहन करने के लिए संसाधनों को जुटाता है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया निर्देशित लोक व्यय गुणवत्ता की सरचना का अनुरक्षण, नई सरचना का सृजन तथा विकास तथा सामाजिक न्याय की अन्य जरूरतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित तो नहीं करती है।

1.6.1 व्यय का संयोजन तथा वृद्धि

चार्ट 1.12 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.12: कुल व्यय प्रवृत्तियां तथा संयोजन


(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)


उक्त चार्ट 1.12 से, यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय में 2014-15 में ₹34,550 करोड़ से 2018-19 में ₹64,572 करोड़ तक ₹30,022 करोड़ (86.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। उसी समय में पूंजीगत व्यय में (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) ₹5,221 करोड़ (₹5,134 करोड़+₹87 करोड़) से ₹8,482 करोड़ (₹8,413 करोड़+₹69 करोड़) तक ₹3,261 करोड़ (62.46 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में 2014-15 में ₹29,329 करोड़ 2018-19 में ₹56,090 करोड़ तक ₹26,761 करोड़ (91.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कुल व्यय में राजस्व का प्रमुख हिस्सा था क्योंकि 2014-15 से 2018-19 तक राजस्व व्यय पर 80 प्रतिशत से 87 प्रतिशत तक व्यय किया गया था।

चार्ट 1.13: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



2018-19 के दौरान, राजस्व व्यय का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 में पूंजीगत व्यय में (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) ₹3,279 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके कुल व्यय में हिस्सा पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण 2014-15 में 14.86 प्रतिशत से 2017-18 में 20.18 प्रतिशत बढ़ा। यह 2017-18 में 20.18 प्रतिशत से 2018-19 में 13.03 प्रतिशत तक घटा जिसमें वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में ₹2,261.99 करोड़ के राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण भी शामिल है संवितरित ऋणों तथा अग्रिमों की हिस्सेदारी 2014-15 में 0.25 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.11 प्रतिशत हो गई थी।

चार्ट 1.14: कुल व्यय: गतिविधियों द्वारा प्रवृत्तियां (प्रतिशत में)



सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं का एक संयुक्त हिस्सा जो विकास व्यय को दर्शाता है, जो 2014-15 में 63 प्रतिशत से 2018-19 में 67 प्रतिशत के बीच रेंज में विकास व्यय को दर्शाता है। व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्ष हिस्सेदारी की गतिविधि ने संकेत दिया कि 2018-19 में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 37 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष में यह 35 प्रतिशत था, जबकि सामाजिक सेवाएं 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक सेवाएं 2018-19 में 34 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत हो गईं। आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में विकास राजस्व व्यय में कमी होने के कारण 65 प्रतिशत से घटकर 63 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 राजस्व व्यय

तालिका 1.18 पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19 तक) से अधिक राजस्व व्यय की वृद्धि को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	29,329	36,420	39,812	40,916	56,090
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.39	24.18	9.31	2.77	37.09
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	30	31	32	30	36

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय में ₹26,761 करोड़ (91.24 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई लेकिन, उसी अवधि के दौरान जीएसडीपी से इसका प्रतिशत 30 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में ₹40,916 करोड़ से ₹56,090 करोड़ तक ₹15,174 करोड़ (37.08 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं के अंतर्गत

₹16,888 करोड़ से ₹22,850 करोड़ तक ₹5,962 करोड़ की वृद्धि हुई, सामाजिक सेवाओं में ₹4,814 करोड़ की वृद्धि हुई थी जो ₹13,117 करोड़ से बढ़कर ₹17,931 करोड़ तक हुई जो मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति स्वच्छता, पेंशन तथा विविध सेवाओं के अंतर्गत थी तथा मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक सेवाओं में ₹4,398 करोड़ की वृद्धि हुई।

2018-19 में ₹56,090 करोड़ का राजस्व व्यय 14वें वित्त आयोग के द्वारा किए गए प्रक्षेपण (₹40,506 करोड़) से भी अधिक था जो मुख्य रूप से वेतन तथा पेंशन भुगतान के कारण हुआ था।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतानों, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन पर व्यय तथा सहायिकिया निहित हैं। तालिका 1.19 तथा चार्ट 1.15 2014-15 से 2018-19 तक के दौरान इन घटकों पर व्यय में हुई प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	11,802	15,060	15,154	16,143	24,010	24,154
ब्याज भुगतान	3,533	3,719	4,567	4,663	4,725	5,209
पेंशन पर व्यय	3,686	3,781	4,216	5,408	5,100	7,519
सहायिकी	55	68	1,337	1,306	0	1,304
कुल	19,076	22,628	25,274	27,520	33,835	38,186
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	66	63	60	57		74
राजस्व व्यय का प्रतिशत	65	62	63	67		68

(स्रोत संबंधित वर्ष के वित्त लेखें)

चार्ट 1.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय की हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)



पेंशन भुगतान ने 2014-15 में ₹3,686 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹7,519 करोड़ तक वृद्धि की तथा पिछले वर्ष की तुलना में 39.03 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई तथा ब्याज भुगतान 2014-15 में ₹3,533 करोड़ से 2018-19 में ₹5,209 करोड़ तक ₹1,676 करोड़ (47.43 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2017-18 में ₹16,143 करोड़ से 2018-19 में ₹24,154 करोड़ तक 2018-19 के दौरान ₹8,011 करोड़ (49.61 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई जो मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के लागू होने के कारण हुई।

वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य सहायिकियों के लेखाओं के कारण प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष के 67 प्रतिशत के प्रति 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत निहित था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य सहायिकियों के कारण प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष 57 प्रतिशत के प्रति 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 74 प्रतिशत निहित था।

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान वेतनों पर व्यय में ₹12,352 करोड़ (104.64) प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का सीएजीआर 49.54 प्रतिशत था, जो एससीएस से (14.70 प्रतिशत) अधिक था (परिशिष्ट 1.1)।

ब्याज भुगतान

राजस्व प्राप्तियों से ब्याज के भुगतान का प्रतिशत 2014-15 में 12 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 10 प्रतिशत तक हो गया। ब्याज भुगतानों में पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) की अवधि में ₹3,553 करोड़ से ₹5,209 करोड़ तक ₹1,676 करोड़ (47.43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई इसमें पिछले वर्ष से ₹546 करोड़ (11.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹5,209 करोड़ के ब्याज भुगतान 14वें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों से अधिक थे (₹4,319 करोड़)।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹3,833 करोड़ (103.99 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय (₹56,090) का 6.83 प्रतिशत थी। 2018-19 में पेंशन भुगतानों पर व्यय 14वें वित्त आयोग (₹5,897 करोड़) द्वारा किए गए आंकलनों से अधिक था जो मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के कारण हुआ। पेंशन देयताओं की वृद्धि को पूरा करने के लिए, राज्य द्वारा एक नई परिभाषित पेंशन अंशदान योजना (नई पेंशन योजना) की शुरुआत की गई जो 01 जनवरी 2010 से लागू हुई।

सहायिकी

सहायिकी पर व्यय में 2014-15 में ₹55 करोड़ से 2018-19 में ₹1,304 करोड़ तक ₹1,249 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान सहायिकी पर व्यय राजस्व व्यय (₹56,090) का दो प्रतिशत था। वे प्रमुख शीर्ष जिन पर उस वर्ष के दौरान सहायिकी प्रदान की गई थी, विद्युत विकास विभाग (₹1,200 करोड़) तथा कृषि उत्पादन विभाग (₹12.63 करोड़) थे।

नई पेंशन योजना

जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नई पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत 01 जनवरी 2010 से की गई थी। एन.पी.एस जो उन सभी कर्मियों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने 01 जनवरी 2010 से सरकारी सेवाओं में पद का कार्यभार ग्रहण किया था, एक “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” है जिसमें नियोक्ता तथा कर्मचारी प्रत्येक माह मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने ₹423.88 करोड़ व्यय किए जो कर्मचारियों के अंशदान के बराबर थे। कर्मचारियों के ₹421.61 करोड़ के अंशदान सहित ₹845.49 करोड़ की कुल राशि प्रमुख शीर्ष 8342-“अन्य जमा” के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों हेतु 117 “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” में हस्तांतरित की गई। ₹904.90 करोड़ (₹59.41 करोड़ की पिछली देयताओं सहित) में से ₹783.22 करोड़ को नेशनल सिव्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधन को जमा लेखाओं के इस शीर्ष से हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2019 तक एनएसडीएल/ ट्रस्टी बैंक में हस्तांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित सरकारी कर्मचारियों की (जो वास्तव में ब्याज सहित जमा करवाई जा रही है) ₹121.68 करोड़ की राशि प्रमुख शीर्ष 8342- “अन्य जमा” 117- “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना” के अंतर्गत थी।

उपार्जित ब्याज सहित संग्रहित, बेमेल तथा हस्तांतरित राशि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की उन बकाया देयताओं को प्रस्तुत करती है जिसकी संगणना नहीं की गई है। वर्ष 2018-19 की शुरुआत से नई पेंशन योजना से संबंधित ₹59.41 करोड़ का शेष था जिस पर ₹4.64 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित था (वर्ष 01-04-2018 से 30-09-2018 तक के लिए 8.00 प्रतिशत ब्याज दर तथा 01-10-2018 से 31-03-2019 के लिए 7.60 प्रतिशत ब्याज दर पर जीपीएफ लेकर) जो ब्याज सहित जमा के अंतर्गत ₹59.41 करोड़ के शेष पर था परंतु राज्य सरकार ने जमा एनपीएस पर ब्याज नहीं दिया था। इस प्रकार, राज्य सरकार ने उस राशि पर देयता ब्याज का सृजन किया जो एनएसडीएल में हस्तांतरित नहीं हुआ; कर्मचारियों से संबंधित निधियो

को गलत तरीके से प्रयोग किया गया तथा प्रभावित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों में अनिश्चितता उत्पन्न हुई जिससे योजना स्वयं असफलता की ओर अग्रसर हुई। सरकार ब्याज सहित उस बकाया राशि को बिना विलंब के जमा कर सकती है जो जीपीएफ पर दिए गए ब्याज भुगतान की दर से कम न हो।

1.6.4 स्थानीय तथा स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय तथा स्वायत्त निकायों तथा अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली सहायता को निम्नलिखित रूप से सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों/ स्वायत्त निकायों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	303.68	506.89	519.02	1,489.30	1,886.69
आवास तथा शहरी विकास	447.55	512.50	518.33	627.45	619.08
कृषि	158.93	186.79	265.59	243.66	329.60
सामान्य प्रशासन	12.55	13.11	17.35	38.37	28.56
उद्योग तथा वाणिज्य	20.32	21.47	20.29	39.98	35.00
पर्यटन	20.50	33.23	18.71	31.85	54.53
न्याय प्रशासन	4.77	6.01	5.97	6.94	12.48
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	134.82	51.81	337.06	245.41	240.66
अन्य	432.23	190.87	26.83	31.15	118.90
कुल	1,535.35	1,522.68	1,729.15	2,754.11	3,325.50
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	5.23	4.18	4.34	6.73	5.93

(स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

वित्तीय सहायता में वर्ष 2014-15 में ₹1,535.35 करोड़ से वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹3,325.50 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल सहायता (3,325.50 करोड़) का 75.35 प्रतिशत शिक्षा व खेल, कला तथा संस्कृति तथा आवास तथा शहरी विकास को दिया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1,144.19 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास (जिसमें से लेह को ₹546.24 करोड़ तथा कारगिल को ₹597.95 करोड़ दिए गए थे) को प्रदान की गई थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक तथा प्रत्यक्ष आधारभूत संरचना की उपलब्धता प्रायः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के मूलतः तीन पहलू शामिल हैं: व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय की दक्षता (उपयोग) तथा प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम संबंधों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानव विकास को बढ़ाने के लिए, राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय निर्धारित करने की आवश्यकता है। तालिका 1.21 वर्ष 2018-19 के दौरान विकास हेतु व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधी सरकार की राजकोषीय क्षमता तथा राजकोषीय प्राथमिकता का विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के संबंध में विश्लेषण करता है।

तालिका 1.21: 2014-15 तथा 2018-19 में विशेष श्रेणी के राज्य (एससीएस) की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	एई/जीए सडीपी	एसएस ई/एई	ईएसई/एई	डीई/एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य/एई
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2014-15	26.00	36.27	30.49	66.76	14.46	18.52	5.60
जम्मू एवं कश्मीर (अनुपात) 2014-15	35.12	29.26	33.88	63.39	14.86	13.06	5.83
विशेष श्रेणी वाले राज्य (अनुपात) 2018-19	26.73	35.75	29.08	64.82	15.69	18.21	6.48
जम्मू एवं कश्मीर (अनुपात) 2018-19	41.81	32.25	30.99	63.35	13.03	16.83	6.85


एई:-समुच्चय व्यय, डीई-विकास हेतु व्यय, एसएसई सामाजिक क्षेत्र हेतु व्यय

सीई:-पूंजीगत व्यय ईएसई- आर्थिक क्षेत्र

जीएसडीपी के लिए स्रोत आर्थिक निदेशालय तथा सांख्यिकीय विभाग जम्मू एवं कश्मीर

चार्ट 1.16: वर्ष 2018-19 के लिए सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता

(प्रतिशत में)



राजकोषीय प्राथमिकता:

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सकल व्यय 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान एससीएस अधिक था।
- वर्ष 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षा को दी गई प्राथमिकता एससीएस से कम थी।
- वर्ष 2014-15 के दौरान एई से सीई का अनुपात अधिक था परंतु जम्मू एवं कश्मीर में 2018-19 के दौरान एससीएस की तुलना में कम था।
- 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में एई से एसएसई का अनुपात कम था, हालांकि 2014-15 तथा 2018-19 में आर्थिक क्षेत्र में यह अधिक था, जब एससीएस से तुलना की गई।

1.7.2 उपयोग किए गए व्यय की दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को देखते हुए, राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उचित व्यय युक्तिकरण उपायों को अपनाए तथा मुख्य सार्वजनिक तथा लाभदायक सेवाओं के प्रावधान पर जोर दे। विकास हेतु व्यय के आवंटन में सुधार के अलावा, विशेष रूप से मौजूदा वर्षों में ऋण सेवा में गिरावट के कारण राजकोषीय क्षेत्र को ध्यान में रखकर कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) से पूंजीगत व्यय के अनुपात के द्वारा तथा मौजूदा सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय किए गए राजस्व के अनुपात द्वारा भी व्यय के उपयोग की दक्षता को दर्शाया जाता है। कुल व्यय (और/ या जीएसडीपी) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, उतनी ही

व्यय की गुणवत्ता अधिक होगी, इससे व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। तालिका 1.22 पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के समुच्चय व्यय से संबंधी विकास व्यय में प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

2014-15 से 2018-19 के दौरान विकास हेतु व्यय में ₹19,002 करोड़ (86.76 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाया तथा 2016-17 तक यह 63.40 प्रतिशत से 67.03 प्रतिशत तक बढ़ी, उसके बाद कुल व्यय की तुलना में 63.35 प्रतिशत तक घटी।

तालिका 1.22: विकास हेतु व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल व्यय	34,550	43,845	48,174	51,294	64,572
कुल विकास व्यय	21,903	29,058	32,295	33,603	40,905
विकास राजस्व व्यय (₹करोड़ में)	17,290	22,745	24,702	24,028	33,240
कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	50.04	51.87	51.28	46.84	51.48
विकास पूंजीगत व्यय (₹करोड़ में)	4,526	6,219	7,517	9,550	7,596
कुल व्यय में विकास पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	13.10	14.18	15.60	18.62	11.76
विकास के लिए ऋण तथा अग्रिम (₹करोड़ में)	87	94	76	25	69
कुल व्यय से कुल विकास व्यय (प्रतिशत में)	63.40	66.27	67.03	65.51	63.35

(स्रोत संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखों)

कुल व्यय में विकास हेतु पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 13.10 प्रतिशत से 2017-18 में 18.62 प्रतिशत तक बढ़ी तथा 2018-19 में 11.76 प्रतिशत घटी, जबकि 2014-15 से 2015-16 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 50.04 प्रतिशत से 51.87 प्रतिशत हो गई, तत्पश्चात् दो वर्ष की गिरावट के साथ 2017-18 के दौरान यह 46.84 प्रतिशत तक घटी तथा 2018-19 के दौरान यह बढ़कर 51.48 प्रतिशत हो गई। हालांकि, पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के ₹2,262 करोड़ के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में उस सीमा तक बढ़ोतरी हुई जिसे पैरा-1.11.1 (तालिका-1.33 में दिखाया गया है।) 2018-19 में विकास हेतु पूंजीगत व्यय में कमी यह दर्शाती है कि सरकार ने विकास निर्माण कार्यों तथा परिसंपत्तियों के सृजन के लिए कम खर्च किया गया है।

तालिका 1.23 चयनित आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं के रखरखाव पर हुए राजस्व घटकों तथा पूंजीगत व्यय का विवरण प्रदान करती है

तालिका 1.23: चयनित आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/ आर्थिक संरचना	2016-17			2017-18			2018-19		
	सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा		सीई से टीई का अनुपात	आरई में हिस्सा	
		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम		एस एवं डब्ल्यू	ओ एवं एम
सामाजिक क्षेत्र (एसएस)									
सामान्य शिक्षा	8.93	69.46	0.02	11.26	63.00	0.03	7.30	69.19	0.00
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	15.47	70.30	0.82	16.59	72.65	0.88	19.76	72.97	0.76
जलापूर्ति, स्वच्छता व आवास तथा शहरी विकास	31.23	49.19	4.43	32.79	42.39	4.93	29.70	55.82	3.61
अन्य	22.54	14.33	0.03	19.91	15.54	0.01	10.48	16.37	0.01
कुल (एसएस)	16.62	59.07	0.91	17.52	56.26	0.98	13.90	62.45	0.63
आर्थिक क्षेत्र (ईएस)									
कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ	27.26	80.02	0.24	31.09	80.29	0.25	17.35	82.15	0.13
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	47.94	61.62	9.32	41.71	62.54	8.73	28.54	83.35	5.52
बिजली तथा ऊर्जा	7.98	7.60	0.74	11.54	12.74	1.58	2.66	12.03	0.75
यातायात	51.68	0.03	12.09	54.08	0.01	7.10	32.08	0.01	5.41
अन्य	57.42	41.56	0.75	62.30	44.79	0.92	17.92	43.88	0.54
कुल (ईएस)	28.40	24.76	1.67	38.26	31.91	2.23	23.48	32.09	1.35
कुल (एसएस)+(ईएस)	23.33	40.82	1.31	28.44	45.20	3.41	18.60	48.47	0.96

(टीई: संबंधित सेवाओं पर कुल व्यय; सीई पूंजीगत व्यय; आरई राजस्व व्यय; एस एवं डब्ल्यू वेतन तथा मजदूरी; ओ एवं एम: परिचालन तथा रखरखाव)

सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र में कुल व्यय के लिए पूंजीगत व्यय का अनुपात 2016-17 में 23.33 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 28.44 प्रतिशत हो गया तथा 2018-19 में घटकर 18.60 प्रतिशत हो गया, यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से 2018-19 में आर्थिक क्षेत्र में 38.26 प्रतिशत से 23.48 प्रतिशत व्यय में हुई कमी के कारण हुई थी। विद्युत तथा ऊर्जा, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ तथा यातायात शीर्षों के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र के व्यय में कमी हुई।

1.8 सरकार के पूंजीगत व्यय तथा निवेश का वित्तीय मूल्यांकन

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के भाग के रूप में, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपने वित्तीय घाटे को निम्न स्तर पर रखे बल्कि अपने पूंजीगत व्यय/ निवेश (ऋण तथा अग्रिम सहित) की आवश्यकताओं को राजस्व से पूरा करें। इसके अलावा, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के लिए संव्यवहार में, राज्य सरकार को अपने

निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए उपाय करने तथा अंतर्निहित सहायिकी के रूप में अपने बजट पर उसका वहन करने की बजाय उधार ली गई निधियों की लागत की वसूली करने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह भाग पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर 31 मार्च 2019 तक ₹एक करोड़ या उससे अधिक की लागत की अपूर्ण परियोजनाओं के ब्यौरे वित्तीय लेखाओं के परिशिष्ट IX में दिए गए हैं। 291 अपूर्ण परियोजनाएं नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.24: 31 मार्च 2019 तक अपूर्ण परियोजनाओं के विभागानुसार प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजना लागत	संशोधित लागत	वास्तविक व्यय सहित	लागत से अधिक
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई), श्रीनगर*	240	800.66	800.92	402.04	0.26
जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई), जम्मू।	44	83.88	99.57	81.60	15.69
ईएम एवं आरई जम्मू।*	02	5.51	5.51	4.22	0.00
लोक निर्माण विभाग (आर एवं बी), जम्मू*	04	47.07	47.07	5.42	0.00
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, जम्मू*	01	2.55	2.55	2.55	0.00
कुल	291	939.67	955.62	495.83	15.95

(स्रोत वित्त लेखें)

*234 अपूर्ण परियोजनाओं में संशोधित लागत वित्त लेखा-खण्ड-II के परिशिष्ट IX में नहीं दर्शायी गई है।

मार्च 2019 तक, ₹एक करोड़ या उससे अधिक लागत की 291 अपूर्ण परियोजनाएं, 2012-13 से 2018-19 के दौरान लक्ष्य तिथि में पूरी की जानी थी। इन अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संस्वीकृत लागत ₹939.67 करोड़ थी जो ₹955.62 करोड़ तक संशोधित की गई थी। इन विभागों से संशोधित लागत के कारण (नवंबर 2019) अपेक्षित थे। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹495.83 करोड़ की राशि मार्च 2019 तक खर्च की जा चुकी थी। 291 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 166 परियोजनाएं एक वर्ष से भी अधिक की अवधि के लिए विलंबित की गई थी, सात परियोजनाएं पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए विलंबित की गईं तथा शेष 118 परियोजनाएं जो 2018-19 में

पूरी की जानी थी वे भी अपूर्ण थी। इस प्रकार, अपूर्ण परियोजनाएं/ निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा राज्य को लंबी अवधि हेतु मिलने वाले इच्छित लाभों से वंचित करता है।

सरकार अपूर्ण परियोजनाओं के पूर्ण होने में हुई विलंब के कारणों का विश्लेषण कर सकती है तथा इसकी पूर्णता के लिए कदम उठा सकती है ताकि अपेक्षित लाभों को प्राप्त किया जा सके।

1.8.2 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

₹499.40 करोड़ राशि के पूंजीगत व्यय सहित सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं³ के वित्तीय परिणाम मार्च 2019 के अंत तक यह दर्शाते हैं कि 2018-19 के दौरान इन योजनाओं से सिर्फ ₹0.20 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। योजनाओं की राजस्व प्राप्तियां प्रत्यक्ष निर्माण व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। निर्माण कार्य व्यय तथा ब्याज प्रभारों का पूरा होने के पश्चात् इन निर्माण कार्यों को कुल ₹2.07 करोड़ (पूंजीगत परिव्यय का 0.41 प्रतिशत) का घाटा हुआ था। 2018-19 के दौरान प्रमुख हानि वहन करने वाली परियोजनाएं रनबीर कैनाल, प्रताप कैनाल तथा कठुआ फीडर थी।

1.8.3 निवेश तथा रिटर्न

वित्तीय लेखाओं की विवरणी 8 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक, राज्य का 25 कंपनियों में (₹282.76 करोड़), तीन सांविधिक निगमों में (₹355.64 करोड़), आठ सहकारी संस्थान/ स्थानीय निकायों में (₹37.83 करोड़) दो ग्रामीण बैंकों में (₹12.85 करोड़) तथा दो संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में ₹689.42 करोड़ का संचयी निवेश था। तालिका 1.25 सरकारी उधार की औसत लागत की तुलना में निवेश पर रिटर्न का समग्र विवरण प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1.25: निवेश पर रिटर्न

निवेश/ रिटर्न/ उधारी की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के दौरान निवेश (₹करोड़ में)	3.90	10.67	255.90	96.08	35.90
वर्ष के अंत में निवेश (₹करोड़ में)	537.17	547.83	803.74	653.52	689.42
रिटर्न (₹करोड़ में)	128.88	54.13	45.11	शून्य	शून्य
रिटर्न (प्रतिशत में)	23.99	9.88	5.61	शून्य	शून्य

³ 1. कठुआ फीडर कैनाल, 2. प्रताप कैनाल, 3. रनबीर कैनाल, 4. मार्तण्ड कैनाल, 5. जैनगीर कैनाल, 6. अहिजी कैनाल, 7. डडी कैनाल

सभी सरकारी देयताओं पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.60	7.17	7.77	7.15	7.07
रिटर्न तथा ब्याज दर में अंतर (प्रतिशत)	16.39	2.71	(-) 2.16	(-)7.15	(-)7.07

(स्रोत संबंधित वर्ष के वित्त लेखें)

वर्ष 2014-15 के दौरान रिटर्न लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति ₹128.88 करोड़ जो घटकर 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमशः ₹54.13 करोड़, ₹45.11 करोड़ तक हो गई तथा 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। केवल जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड से ही निवेश पर रिटर्न आया जिसमें सरकार की 59.23 प्रतिशत इक्विटी है। सरकारी निवेश पर रिटर्न ऐतिहासिक लागत पर है परन्तु निवल वर्तमान मूल्य आधार पर नहीं। वर्ष 2014-15 के दौरान लाभांश/ ब्याज की दर 23.99 प्रतिशत थी तथा यह आगामी वर्षों के दौरान निरन्तर घट गई तथा 2017-18 तथा 2018-19 में कोई भी रिटर्न नहीं था, जबकि कथित अवधि के दौरान निवेश ₹537.17 करोड़ से बढ़कर ₹689.42 करोड़ हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने ₹402.45 करोड़ (कंपनी - चार, वैधानिक निगम - दो तथा ग्रामीण/ सहकारी बैंक - दो) तक का निवेश किया जिसमें से सिर्फ दो⁴ ने ही लाभ प्राप्त किया तथा शेष पांच⁵ को निरन्तर हानि हुई तथा उनके लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के समय ₹3,150.23 करोड़ राशि की संयुक्त संचित हानि थी।

2018-19 के दौरान, राज्य द्वारा मुख्यतः हानि करने वाले वैधानिक निगमों/ सरकारी कंपनियों नामतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम (₹15.00 करोड़), जम्मू एवं कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹17.90 करोड़) तथा जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹0.45 करोड़) में निवेश किया गया था। हालांकि, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार इन वैधानिक निगमों/ सरकारी कंपनियों के पास - जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय निगम (₹176.15 करोड़ 2017-18 तक), जम्मू एवं कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम (₹1,148.11 करोड़ 2013-14 तक), जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ तथा पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड (₹5 करोड़ 2001-02 तक) संचित हानियाँ थी। 31 मार्च 2019 तक राज्य का उपरोक्त तीन पीएसयू/ सरकारी कंपनियों में कुल निवेश ₹364.63 करोड़ है जिनकी संचित हानियाँ उनके लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि तक ₹1,329.27 करोड़ की थी। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य ने ₹2.55 करोड़ निवेश सहित एक नई कंपनी (जम्मू एवं कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन) को शामिल किया है।

⁴ जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट निगम तथा जम्मू एवं कश्मीर महिला विकास निगम लिमिटेड

⁵ जम्मू एवं कश्मीर राज्य वित्तीय निगम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य मार्ग यातायात निगम, जे एण्ड के बैंक लिमिटेड, जे एण्ड के एससी/एसटी/ पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, ईलाकि देहाती बैंक

राज्य सरकार उन राज्य पीएसयू के कार्यों की समीक्षा कर सकती है जिन्हे हानि हुई तथा उनके समापन/पुनःप्रवर्तन के लिए एक सामरिक योजना बना सकती है, जैसा भी मामला हो।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

सहकारी संस्थाओं, निगमों तथा कंपनियों में, निवेश के अतिरिक्त सरकार ऐसे बहुत से संस्थानों तथा संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान कर रही है। तालिका 1.26 पिछले पांच वर्षों में ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों की 31 मार्च 2019 तक बकाया ऋण तथा अग्रिम स्थिति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.26: राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिमों पर औसतन ब्याज प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

उधारी की लागत/ ब्याज प्राप्तियां/ ऋण की मात्रा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आरंभिक शेष	1,409.83	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	86.80	93.79	76.24	24.75	69.15
वर्ष के दौरान वसूल की गई रकम	2.69	4.09	19.36	4.41	4.24
अंत शेष	1,493.94	1,583.64	1,640.52	1,660.86	1,725.77
उनका बकाया शेष जिनके लिए नियम तथा शर्तें निर्धारित की गई					
कुल जोड़	84.10	89.70	56.89	20.34	64.91
ब्याज प्राप्तियां	1.88	0.97	1.88	2.17	शून्य
बकाया ऋण तथा अग्रिमों के प्रतिशत अनुसार ब्याज प्राप्तियां	0.13	0.06	0.11	0.13	शून्य
बकाया राजकोषीय देयताओं तथा ब्याज प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	7.31	6.72	7.34	6.84	6.58
ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (प्रतिशत में)	7.18	6.66	7.23	6.71	6.58

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

हानि वहन कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ऋण तथा अग्रिमों की वसूली की संभावना नहीं है। विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए एफआरबीएम विवरणियों में इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे कोई भी आंकलन नहीं किया गया है।

1.8.5 नकदी शेष तथा उनका निवेश

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए नकदी शेष तथा नकदी शेष निवेश के तुलनात्मक आकड़े निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.27: नकदी शेषों तथा नकदी शेषों के निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

	आरंभिक शेष 01 अप्रैल 2018	अंत शेष 31 मार्च 2019
(क) सामान्य नकद शेष		
राज्यकोष में शेष	6.77	6.77
रिजर्व बैंक के पास जमा	126.72	83.38
जम्मू एवं कश्मीर बैंक तथा अन्य बैंकों के साथ जमा	21.02	21.02
स्थानीय प्रेषण	-	-
कुल	154.51	111.17
नकदी शेष निवेश खाता में धारित निवेश	383.92	383.92
कुल (क)	538.43	495.09
(ख) अन्य नकद शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों यानि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों के पास शेष	4.97	4.97
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय स्थायी अग्रिम	0.12	0.12
निर्धारित निधियों में से निवेश	10.86	10.86
कुल (ख)	15.95	15.95
कुल योग (क)+(ख)	554.38	511.04

(स्रोत संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें)

01 अप्रैल 2011 से राज्य सरकार अपने नकदी/ आवधिक प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है। 2018-19 के दौरान नकदी-शेष में ₹43 करोड़ की कमी हुई जो 31 मार्च 2018 तक ₹554 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2019 तक ₹511 करोड़ हो गई।

वर्ष 2018-19 के लिए नकदी शेष निर्धारित आरक्षित निधियों ₹2,486 की राशि के बराबर नहीं था जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य के लिए किया गया। 31 मार्च 2019 तक, ₹383.92 करोड़ की राशि नकद शेष निवेश खाता में रखी गई तथा चिन्हित निधियों से ₹10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। राज्य सरकार ने इस पर ₹9.04 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम या अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) या ओवरड्राफ्ट्स को लिए बिना 187 दिनों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹1.14 करोड़ अनिवार्य न्यूनतम दैनिक नकदी शेष को बनाए रखा, तथा 171 दिनों तक न्यूनतम शेष का अनुरक्षण साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के साथ तथा 7 दिनों पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया था। 01 अप्रैल 2018 तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ₹300.71 करोड़ का शेष था तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शून्य शेष था। वर्ष 2018-19 के अंत तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ₹532.38 करोड़ शेष था तथा ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत यह शून्य था तथा वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य अर्थोपाय

अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट्स पर भारतीय रिजर्व बैंक को क्रमशः ₹12.16 करोड़ तथा ₹0.15 करोड़ की राशि का ब्याज भुगतान किया गया था। सरकार को अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भरता को कम करने के लिए इसके नगद प्रबंधन की सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

1.9 परिसंपत्तियां तथा देयताएं

1.9.1 परिसंपत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना

वर्तमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व की भूमि तथा भवनों जैसी अचल परिसंपत्तियों का व्यापक लेखांकन नहीं किया गया। हालांकि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं को ऐतिहासिक लागत अर्थात् न्यूनतम रूप में बिना समायोजित करते हुए मूल्य वृद्धि/ मूल्यहास नकद अंतर्वाह तथा बहिर्वाह के रूप में किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों को लिखा जाता है। वर्ष 2018-19 के वित्तीय लेखाओं के विवरण 12, निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग का अवलोकन प्रदान करता है। 2018-19 के वित्तीय लेखाओं के विवरण 1, 6 तथा विवरण 17 सरकार की वित्त प्रणाली की वित्त देयताओं जैसे खुला बाजार वित्त संस्थानों से उधारी, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिमों, तथा जहाँ पर सरकार एक ट्रस्टी तथा बैंकर के रूप में कार्य करती है, के संबंध में लोक लेखाओं के अंतर्गत हुई कुल प्राप्तियों की सार स्थिति प्रदान करती है।

राज्य सरकार के वित्त लेखाओं में राज्य सरकार से संबंधित सभी परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि परिसंपत्तियों के सहायक अभिलेख तथा उनके मूल्यांकन का रखरखाव महालेखाकार (लेखा व हकदारी), जम्मू एवं कश्मीर द्वारा नहीं किया जाता है। वित्त लेखाओं में केवल, संचयी पूंजीगत व्यय, परिसंपत्तियों के सापेक्ष/ मूल्यहास के समायोजन के बिना नामांकित प्रवृत्तियों में प्रत्येक वर्ष में जमा किए जा रहे पूंजीगत व्यय को दर्शाया जाता है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

देयताओं के दो सेट हैं अर्थात्, लोक ऋण तथा “लोक लेखाओं के अंतर्गत अन्य देयताएं”। लोक ऋण में बाजार ऋण, आरबीआई द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां तथा केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताएं, जो लोक लेखाओं के भाग हैं, इसमें लघु बचत योजना के अंतर्गत जमा, भविष्य निधि तथा अन्य जमा शामिल हैं। पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना **तालिका 1.28** (2014-15 से सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं में प्रवृत्तियां) में प्रस्तुत की गई है (**परिशिष्ट 1.4** तथा **1.5**)।

तालिका 1.28: 2014-15 से 2018-19 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

राजकोषीय देयताओं के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खुला बाजार व वित्त संस्थानों से आंतरिक ऋण-उधारियां	26,525 (55)	30,452 (55)	34,267 (55)	37,419 (55)	42,221 (53)
भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम	1,675 (3)	1,579 (3)	1,489 (2)	1,405 (2)	1,292 (2)
लोक लेखा देयताएं	20,114 (42)	23,327 (42)	26,463 (43)	29,393 (43)	35,592 (45)
जीएसडीपी	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
कुल राजकोषीय देयताएं	48,314	55,358	62,219	68,217	79,105
राजकोषीय देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.15	14.57	12.39	9.64	15.96
राजस्व प्राप्तियां	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय देयता	166.95	154.71	148.22	140.62	154.41
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.68	23.64	17.31	15.56	5.60
उत्थान अनुपात					
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयता	1.22	0.61	0.71	0.62	2.85
जीएसडीपी की तुलना में राजकोषीय देयता	2.83	0.76	1.77	0.92	1.39

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल राजकोषीय देयता के प्रतिशत में हैं)

चार्ट 1.17: बकाया राजकोषीय देयताओं की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें) लोक लेखा देयताएं भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं वर्ष 2014-15 में ₹48,314 करोड़ से वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹79,105 करोड़ हो गई। इसमें 31 मार्च 2018 के अंत में ₹68,217 करोड़ से 31 मार्च 2019 की समाप्ति तक ₹79,105 करोड़ तक ₹10,888 करोड़ की वृद्धि हुई। जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में, संचित राजकोषीय देयताओं में 2017-18 के अंत तक 49.26 प्रतिशत से 2018-19 के अंत तक 51.22 प्रतिशत तक बढ़ गई। 31 मार्च 2019 को संचित देयताएं सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹51,231 करोड़) से 1.54 गुणा अधिक तथा सरकार के अपने कर तथा गैर-कर राजस्वों से 5.58 गुणा अधिक थी। 2018-19 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में इन देयताओं का उत्थान अनुपात 1.39 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु वित्तीय देयताएं 1.39 गुणा बढ़ जाती हैं।

1.9.3 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां वे निधियां होती हैं जो राज्य के लोक लेखाओं का हिस्सा होती हैं इसकी संरचना समेकित निधि से विनियोजित राशियों से एक चिन्हित उद्देश्य के लिए रखी हुई होती हैं। तालिका 1.29 में 31 मार्च 2019 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में अंत शेषों की गतिविधि दर्शाई गई है। 31 मार्च 2019 के अंत में इन निधियों में संचित समुच्च्य शेष ₹2,497 करोड़ था जिसमें से ₹11 करोड़ सरकारी लेखाओं से बाहर निवेश किए गए हैं। निधियों में संव्यवहारों की प्राप्ति/ संवितरण की समीक्षा से यह भी देखा गया है कि, अधिकतर निधियां निष्क्रिय थीं जिनमें शून्य संव्यवहार हुए थे।

तालिका 1.29: आरक्षित निधि के अंतर्गत वर्ष के अंत में अंत शेष की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियां	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियां					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	202	336	600	740	903
ब्याज वहन करने वाली कुल-आरक्षित निधि	202	336	600	740	903
आरक्षित निधियां जो ब्याज वहन नहीं करती					
आपदा राहत निधि (अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि)	28	--	--	--	-
ऋण शोधन निधि	97	135	169	220	317
अकाल राहत निधि	9	8	9	9	9
सरकार के वाणिज्य विभाग/ उपक्रम की मूल्यहास तथा नवीकरण आरक्षित निधि	574	573	573	573	573

सरकार के गैर वाणिज्य विभाग की मूल्यहास तथा नवीकरण तथा आरक्षित निधियां	73	73	73	73	73
कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधि	41	41	41	41	41
निर्वाचन क्षेत्र विकास निधियां	72	104	116	160	234
अन्य विकास तथा कल्याण निधियां	85	115	136	183	168
सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	66	65	63	67	43
गारंटी शोधन निधि	7	8	12	15	19
अन्य निधियां	77	86	93	94	117
कुल-आरक्षित निधियां ब्याज वहन नहीं करने वाली	1,129	1,208	1,285	1,435	1,594
कुल आरक्षित निधियां	1,331	1,544	1,885	2,175	2,497
जिसका शेष निवेश किया गया					
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से निवेश	11	11	11	11	11

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें)

1.9.3.1 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

(क) 01 अप्रैल 2018 तक, ₹740.39 करोड़ (₹10.86 करोड़ सहित निधि से निवेश किए गए) निधि में पड़े थे। 2018-19 के दौरान, भारत सरकार द्वारा ₹252.90 करोड़ की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार द्वारा ₹330.89 करोड़ की राशि (₹252.90 करोड़ केंद्र सरकार का हिस्सा, ₹28.00 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा, तथा ₹49.99 करोड़ ब्याज) निधि में हस्तांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्व वर्षों की ₹0.71 करोड़ की बकाया राशि को भी निधि में क्रेडिट किया गया था।

वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2019 को ₹903.11 करोड़ की राशि का शेष छोड़ते हुए ₹168.88 करोड़ की निधि प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय की गई। निधि का प्रबंधन करने वाली राज्य की कार्यकारी समिति (एसईसी) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तथा या नीलाम राजकोषीय बिलों और/ या सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वहन करने वाली जमा तथा जमा प्रमाणपत्र में निवेश हेतु अपेक्षित ₹892.25 करोड़ के निवल शेष (₹903.11 करोड़ में से ₹10.86 करोड़, की निवेश राशि घटाकर) को निवेश नहीं किया गया था (मार्च 2019)।

(ख) वर्ष 2018-19 के आरंभ में ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ₹729.53 करोड़ का बकाया शेष था तथा ₹46.21 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम पर औसतन ब्याज दर 01 अप्रैल 2018 से 05 जून 2018 तक 6.00 प्रतिशत तथा 06 जून 2018 से 31 जूलाई 2018 तक 6.25 प्रतिशत, 01 अगस्त 2018 से 06 फरवरी 2019 तक 6.50 प्रतिशत तथा 7 फरवरी से 31 मार्च

2019 तक 6.25 प्रतिशत लेकर) ब्याज वहन करने वाली निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ₹729.53 करोड़ पड़े हुए थे। राज्य सरकार को भी वर्ष 2018-19 के लिए एसडीआरएफ को अनुदानों की दो किश्तों के संबंध में विलंब के कारण ₹3.96 करोड़ के उपार्जित ब्याज का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, राज्य सरकार ने ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियों (एस.डी.आर.एफ) पर ₹49.99 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.18 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।

1.9.3.2 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाली बकाया देयताओं को कम करने के उद्देश्य से एक समेकित ऋण शोधन निधि का गठन किया। राज्य सरकार को इस निधि को वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर कुल बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत के बराबर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर कुल देयताओं का कम से कम 10 प्रतिशत का 0.5 प्रतिशत अंशदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष वृद्धि संबंधी देयताओं का 0.5 प्रतिशत निधि में हस्तांतरण होना चाहिए।

31 मार्च 2019 को ₹364.2 करोड़ के अंशदान की आवश्यकता के प्रति इस निधि के बनने के बाद राज्य सरकार ने ₹316.60 करोड़ का निधि में अंशदान दिया। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार को पिछले वर्ष के अंत से बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत की दर से निधि में न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित है, क्योंकि वृद्धि संबंधी देयताओं का 0.5 प्रतिशत निधि में किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक, इस निधि में शेष राशि वास्तव में हस्तांतरित ₹316.60 करोड़ के प्रति ₹364.21 करोड़ होने चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ₹47.61 करोड़ की धनराशि का अंशदान कम हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान इस निधि में ₹70.08 करोड़ (वर्ष 2011 की समाप्ति पर कुल ₹31,261.01 करोड़ की देयताओं का 10 प्रतिशत का 0.5 प्रतिशत तथा ₹10,889.09 करोड़ की कुल वृद्धि संबंधी देयताओं का 0.5 प्रतिशत) के प्रति ₹97.05 करोड़ का अंशदान किया गया था। मार्च 2019 तक निधि के अंतर्गत शेष धनराशि का निवेश नहीं किया गया था।

1.9.3.3 गारंटी शोधन निधि


राज्य सरकार ने विभिन्न राज्य सरकार के संस्थानों को दी गई गारंटियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं को पूरा करने के लिए 2005-06 में गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार को पिछले वर्ष के अंत तक बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत की दर पर निधि में न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने ₹12.07 करोड़ की न्यूनतम आवश्यकता

के प्रति अर्थात् {31 मार्च 2018 को ₹2,414.10 करोड़ की बकाया गारंटी (₹1.97 करोड़ का ब्याज छोड़कर) प्रति 2018-19 में निधि में ₹1.00 करोड़ का अंशदान किया। राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹तीन करोड़ की धनराशि गारंटी कमीशन/ शुल्क के रूप में प्राप्त की तथा इसे निधि में जमा किया गया। 31 मार्च 2019 तक निधि का अंत शेष ₹19.42 करोड़ था।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि आरक्षित निधि में अंशदान निर्धारणानुसार किया गया है।

1.9.4 गारंटी की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

गारंटी उस उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर दी जाने वाली आकस्मिक देयताएं हैं जिसके लिए गारंटी दी गई है। वित्त लेखाओं के विवरण 9 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के लिए अधिकतम राशि, जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटी दी जा सकती थी तथा ब्याज सहित, बकाया गारंटियों को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

एफआरबीएम अधिनियम, 2006 में वार्षिक वृद्धि संबंधी जोखिम वाली गारंटियों की राशि को पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत या पिछले वर्ष के जीएसडीपी के 7.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त बकाया गारंटी ₹2,070.20 करोड़ (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के साथ समायोजन के अंतर्गत) थी जो ₹1.95 करोड़ के ब्याज सहित 2017-18 के ₹48,511.88 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के 4.27 प्रतिशत तथा 2017-18 के ₹1,38,488 करोड़ (वर्तमान मूल्य) के जीएसडीपी का 1.49 प्रतिशत है जैसा कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम

कार्यान्वयन, मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है (01 अगस्त 2019)। राज्य सरकार ने अभी तक विभिन्न गारंटियों के जोखिमों का मूल्यांकन नहीं किया है। राज्य सरकार के विभागों/ राज्य के अपने निगमों तथा पीएसयू तथा अन्य स्वायत्त तथा सांविधिक निकायों की ओर से जारी गारंटियों से उत्पन्न अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने गारंटी शोधन निधि (जीआरएफ) की स्थापना (2005-06) की है। कथित आदेश में गारंटी कमीशन/ शुल्क के उदग्रहण के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो गारंटी का दो प्रतिशत होता है, जैसा कि राज्य वित्त विभाग द्वारा सूचित किया गया था। 2018-19 के दौरान ₹तीन करोड़ की राशि गारंटी शुल्क/कमीशन के रूप में प्राप्त की गई थी।

चार्ट 1.20: 31 मार्च 2019 के अंत में गारंटियों का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: राज्य वित्त लेखें

जम्मू एवं कश्मीर विद्युत बोर्ड तथा जम्मू एवं कश्मीर विद्युत विकास निगम से संबंधित ऋण का 93.00 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किया गया।

31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा दी गई कुल बकाया गारंटियां ₹2,070.20 करोड़ पर संचित थी (ब्याज रहित) (राज्य सरकार के मिलान सहित) जो 2017-18 के ₹48,511 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.27 प्रतिशत है तथा जो एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा में हैं।

1.10 ऋण प्रबंधन

तालिका 1.30 पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार के आंतरिक ऋण रूपरेखा की समय श्रृंखला का मूल्यांकन प्रदान करती है।

तालिका 1.30: राज्य सरकार के आंतरिक ऋण रूपरेखा

(₹ करोड़ में)


वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंत शेष	वृद्धि/ गिरावट	पिछले वर्ष पर वृद्धि प्रतिशत
2014-15	24,714.88	10,246.80	8,436.28	26,525.40	1,810.52	07
2015-16	26,525.40	14,627.78	10,701.55	30,451.63	3,926.23	15

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

2016-17	30,451.63	20,723.83	16,908.71	34,266.75	3,815.12	13
2017-18	34,266.75	25,525.97	22,374.19	37,418.53	3,151.78	09
2018-19	37,418.53	25,332.27	20,529.39	42,221.41	4,802.88	13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें)

आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, एलआईसी, जीआईसी तथा अन्य संस्थानों से ऋण शामिल है, जैसा कि वित्तीय लेखा के कथन 17 में विवरण दिया गया है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा बाजार ऋण के रूप में है, जिसमें ब्याज दर 6.97 प्रतिशत से लेकर 14.00 प्रतिशत तक है। 2018-19 में, राज्य सरकार ने बॉण्ड्स के प्रति, वित्तीय संस्थानों से ₹18,648 करोड़ (₹25,332 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से) ऋण लिया। बॉण्ड्स, वित्तीय संसाधनों से ऋण, विशेष प्रत्याभूति का ₹18,772 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। 31 मार्च 2019 तक बकाया बाजार ऋण ₹30,947 तक था जो कि ₹42,221 करोड़ के कुल बकाया आंतरिक ऋण का 73 प्रतिशत है। आंतरिक ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2017-18 में ₹25,526 करोड़ से 2018-19 में ₹25,332 करोड़ तक 194 करोड़ की कमी थी।




चार्ट 1.21 दर्शाता है कि राज्य के आंतरिक ऋण में 2014-15 में ₹10,247 करोड़ से 2018-19 में ₹25,332 करोड़ तक ₹15,085 (147 प्रतिशत) की वृद्धि हो गई।

चार्ट 1.22 दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान आंतरिक ऋण की अदायगी में ₹8,436 करोड़ से ₹18,772 करोड़ तक ₹12,093 करोड़ (143 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। 2018-19 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹3,200 करोड़ का ब्याज दिया गया था।

ऋण परिपक्वता की रूपरेखा

ऋण परिपक्वता की रूपरेखा ऋण का पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो निम्नलिखित रूप से दिया गया:


चार्ट 1.23: ऋण परिपक्वता की रूपरेखा



मार्च 2019 तक बकाया लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा ने दर्शाया कि ₹42,981 करोड़ के कुल बकाया ऋण का ₹22,971 करोड़ (53 प्रतिशत) सात वर्षों तक तथा शेष ₹20,010 करोड़ (47 प्रतिशत) की शेष धनराशि सातवें वर्ष के बाद तक मैच्योरिटी (परिपक्वता) बकट में थी।

ब्याज सहित बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची नीचे दी गई है:

चार्ट 1.24: बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान सारणी (उदय बॉण्ड्स सहित)



(स्रोत: वित्त लेखें)

राज्य को अगले पांच वर्षों के दौरान 2023-24 तक ₹11,653 करोड़ के ब्याज सहित ₹12,543 करोड़ के बाजार ऋण तथा उदय बॉण्ड्स (31 मार्च 2019 तक ₹34,484 करोड़ के बकाया ब्याज ऋणों तथा उदय बॉण्ड्स के 36 प्रतिशत हिस्से) का

पुनर्भुगतान करना होगा। ₹5,493 करोड़ के ब्याज सहित ₹21,941 करोड़ की राशि के शेष बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान आगामी वर्षों में 2031-32 तक किया जाना होगा। अर्थात्, राज्य को अगले पांच वर्षों के दौरान ₹4,839 करोड़ की धनराशि का सालाना पुनर्भुगतान करना होगा। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹4,306 करोड़ बाजार ऋण तथा उस पर ब्याज ऋणों (उदय बॉण्ड्स पर ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान किया गया था।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय पिछले दस वर्षों में क्रमशः 13.91 प्रतिशत और 17.07 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ गया है। इन विकास दरों को लागू करते हुए तथा यह मानते हुए कि राज्य राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय की पिछले दस वर्षों की औसत विकास दर को बनाए रखेगा, 2021-22 के दौरान राजस्व घाटे की गणना ₹13,925 करोड़ की गई। राज्य वर्ष 2021-22 से उदय बॉण्ड्स की मूल राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उस वर्ष के दौरान उधार राशियाँ पिछले दस वर्षों की वार्षिक विकास दर से प्रक्षेपित की गई (19.17 प्रतिशत) जो ₹42,878 करोड़ हो जाएगी। ₹40,695 करोड़ की देयताओं को पूरा करने के पश्चात् (₹214 करोड़ का मूल उदय बॉण्ड्स राशि के पुनर्भुगतान सहित) 2021-22 में पुनर्भुगतान के लिए देय राशि (में कमी हो जाएगी) घट जाएगी, उधार निधियां ₹11,741 करोड़ तक कम रह जाएंगी। इस प्रकार, राज्य सरकार को 2021-22 से अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता लेनी पड़ेगी।

उधारीकृत निधियों का उपयोग

उधार धन का उपयोग स्व-सतत विकास गतिविधियों तथा सृजन या पूंजीगत संपत्तियों की वृद्धि पर किया जाना है तथा इसका उपयोग चालू व्यय के वित्तपोषण में नहीं किया जाता है। उधार तथा पुनर्भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के लिए इसके उपयोग की वर्ष-वार स्थिति निम्नलिखित रूप से दी गई है:

तालिका 1.31: पुनर्भुगतान, निवल पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के लिए उधारीकृत निधि के उपयोग का विवरण


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधार राशि	पहले की उधार ली गई धन राशि का पुनर्भुगतान* (मूल) (प्रतिशत)	उधार से निवल पूंजीगत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
2014-15	10,259	6,161 (60.05)	4,098 (39.95)
2015-16	14,645	8,352 (57.03)	6,293 (42.97)
2016-17	20,749	14,187 (68.37)	6,562 (31.63)
2017-18	25,557	19,452 (76.11)	6,105 (23.89)
2018-19	25,336	17,366 (68.54)	7,970 (31.46)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल उधार ली गई धनराशि का प्रतिशत हैं)


*लोक ऋण का पुनर्भुगतान - वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान

वर्ष 2014-15 से 2018-19 में, राज्य सरकार ने कुल उधार ली गई धनराशि का 57 से 76 प्रतिशत पहले उधार ली गई मूल धन राशि के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया तथा बची हुई धनराशि का उपयोग आंशिक रूप से निवल पूंजीगत व्यय के लिए किया था।



चार्ट 1.25 दिखाता है कि 2014-15 से 2018-19 के दौरान जीएसडीपी से ऋण का अनुपात लगभग स्थिर रहा था जो 27.34 प्रतिशत से 28.67 प्रतिशत के बीच था।

चार्ट 1.26 दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान उसी अवधि के दौरान घट गया था।



चार्ट 1.27 दर्शाता है कि स्वयं के राजस्व कर का प्रतिशत ऋण के पुनः भुगतान के लिए उपयोग किया गया था (अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट को छोड़कर) जो 2014-15 से 2017-18 तक 20.92 प्रतिशत से 34.44 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा 2018-19 के दौरान 26.84 प्रतिशत तक घट गया था।

चार्ट 1.28 दर्शाता है कि ऋण प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ऋण पुनर्भुगतान ने भी 2015-16 से 2017-18 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया जो 73.85 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक बढ़ गया था तथा 2018-19 के दौरान यह 81.49 प्रतिशत तक घट गया, जो दिखाता है कि ऋण प्राप्तियों का अधिकतम भाग पूर्व ऋण के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया है।

ऋण स्थिरता

ऋण स्थिरता का तात्पर्य भविष्य में अपने ऋण की सेवा के लिए राज्य की क्षमता से हैं। राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। यह विश्लेषण बकाया ऋण की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्तियां; ऋण भुगतान तथा ऋण प्राप्ति का अनुपात; राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के रूप में राज्य सरकार के ऋण की स्थिरता का निर्धारण करता है। तालिका 1.32 में 2014-15 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.32: ऋण स्थिरता

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता के संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण बकाया	28,201	32,031	35,756	38,823	43,513
लोक ऋण बकाया की वृद्धि दर	6.46	13.58	11.63	8.58	12.08
जीएसडीपी	98,370	1,17,168	1,25,379	1,38,488	1,54,441
जीएसडीपी की वृद्धि दर	2.88	19.11	7.00	10.46	11.52
राजस्व प्राप्ति	28,939	35,781	41,978	48,512	51,231
ऋणों पर ब्याज भुगतान	2,388	2,463	2,836	3,038*	3,281*
बकाया ऋण का औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/ लोक ऋण का ओ.बी + लोक ऋण का सीबी)/2	9	8	8	8	8
राजस्व प्राप्ति के ब्याज की प्रतिशतता	8.25	6.88	6.76	6.26	6.40
ऋण प्राप्ति	10,259	14,645	20,749	25,557	25,336
ऋण भुगतान	8,549	10,815	17,023	22,490	20,647

ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान की प्रतिशतता	83.33	73.84	82.04	88	81.49
राज्य के निवल ऋण उपलब्धता	(-) 678	1367	890	29	1,408

(स्रोत: राज्य के वित्त लेखें)

*2015-16 तथा 2016-17 के दौरान जारी किए गए यूडीएवाई (उदय) बॉण्ड्स पर ₹284.12 करोड़ के ब्याज भुगतान सहित।

ई.डी. डोमर⁶ के एक अध्ययन के आधार पर ऋण निरंतरता पर विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल कहता है कि लोक ऋण संवहनियता में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋणों के लिए ब्याज दरें जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोक ऋण की ब्याज दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तथा प्राथमिक बजट संतुलन के आधार पर निम्नानुसार हैं:

जी-आर (जी-वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर-वास्तविक ब्याज दर)	एस <0 (प्राथमिक घाटा)	एस >0 प्राथमिक अधिशेष
जी-आर >0 (सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि दर)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण का जीरो से अधिक एक स्थिर स्तर पर मिलान होना चाहिए	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण का जीरो से कम एक स्थिर स्तर पर मिलान होना चाहिए, जिससे सार्वजनिक बचतें हो।
जी-आर <0 (धीमी आर्थिक वृद्धि दर)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण अनिश्चितकाल तक बिना एक स्थिर स्तर पर मिलान किए बढ़ना चाहिए।	अपरिभाषित स्थिति

जम्मू एवं कश्मीर पर इस विश्लेषण को अपनाते हुए ये देखा गया कि केवल 2014-15 को छोड़कर, डोमर गैप (जी-आर) 2015-16 से 2018-19 तक सभी वर्षों में धनात्मक रहा। 2017-18 को छोड़कर सभी वर्षों में प्राथमिक घाटा था, जबकि राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष उपलब्ध था। बीते चार वर्षों के धनात्मक डोमर गैप के रुझानों से ये कहा जा सकता है कि लोक ऋण एक स्थिर स्तर पर मिल जाएगा। राज्य के जीएसडीपी के ऋण का अनुपात पिछले पांच वर्षों में 49 प्रतिशत से 54 प्रतिशत के बीच रहा। 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) के अनुरूप ऋण सीमा का राजकोषीय लक्ष्य 45.57 प्रतिशत था तथा राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी की तीन प्रतिशत थी।

⁶ ईडी डोमर 1914-1997 मॉडल ऋण स्टॉक परिपक्वता की रूपरेखा, संचरना, लागत तथा जोखिम विशेषताओं को लेखा में शामिल नहीं करता है।

वर्ष	वास्तविक (जी)	वास्तविक ब्याज (आर)	जी-आर	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिषेध (एस) (₹ करोड़ में)
2014-15	(-) 3.22	2.69	(-) 5.91	(-)2,075
2015-16	17.76	2.19	15.57	(-)4,341
2016-17	3.84	3.05	0.79	(-)1,610
2017-18	6.80	1.35	5.45	(+)1,885
2018-19	6.56	2.65	3.91	(-)8,128

वास्तविक जीडीपी के लिए परिकल्पित वास्तविक वृद्धि दर।
समायोजित मुद्रास्फीति के लिए वास्तविक ब्याज दर नाममात्र ब्याज दर है।

राज्य का पूंजीगत व्यय 2014-19 के दौरान 13 से 20 प्रतिशत के बीच रहा। 2017-18 में ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिषेध सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण 2018-19 में ₹4,859 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया। 2017-18 में 2.01 से बढ़कर 2018-19 में वित्तीय घाटा भी बढ़कर जीएसडीपी का 8.64 प्रतिशत मुख्यतः इसी के कारण बढ़ गया। इससे भविष्य में राजस्व प्रवाह प्रभावित होगा जो प्राथमिक संतुलन को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, लोक खाते की देयताओं तथा अप्रत्याशित घटनाओं को अन्य कारक, तथा राजस्व के किसी अन्य अप्रत्याशित नुकसान को भी राज्य की ऋण स्थिरता/ स्थिरता का आकलन करने में प्रतिध्वनित किया जाना चाहिए क्योंकि ये सांख्यिकीय या स्थिर रूप से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं; जैसा कि विश्लेषण में इन कारको पर विचार नहीं किया गया है।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन राजकोषीय मापदंड-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजस्व असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। घाटों का स्वरूप सरकार की राजकोषीय प्रबंधन की विवेकशीलता का सूचक है।


1.11.1 घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.29 2014-15 से 2018-19 के दौरान तीन घाटों पर समय श्रृंखला डाटा प्रदान करता है।

⁷ मौजूदा कोरोना वाइरस जैसा संकट तथा उसका जीएसडीपी पर प्रभाव।


चार्ट 1.29: घाटों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)



चार्ट 1.30: जीएसडीपी से संबंधित घाटे के संकेतक

(प्रतिशत में)



राजस्व घाटा: राज्य वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 को छोड़कर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे (आरडी) में रहा। वर्ष 2017-18 में ₹7,595 करोड़ के राजस्व अधिशेष (आरएस) की तुलना में वर्ष 2018-19 में ₹4,859 करोड़ का राजस्व घाटा (आरडी) था, जो मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹8,029 करोड़ की वेतन में वृद्धि होने के कारण भी राजस्व में घाटा हुआ। इस वेतन वृद्धि में वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए ₹3,900 करोड़ की बकाया राशि भी शामिल है, जिन्हें बुक समायोजन के माध्यम से जीपीएफ खातों में जमा किया गया था। परिणामस्वरूप राजस्व घाटे पर उस सीमा तक प्रभाव एक बार पड़ा है। 2018-19 में राजस्व घाटा ₹4,859 करोड़ था जो गलत वर्गीकरण तथा आरक्षित निधियों/ ब्याज के कम हस्तांतरण के कारण ₹2,277.88 करोड़ तक कम दर्शाया गया था।

राजकोषीय घाटा: राजकोषीय घाटा (एफडी) वर्ष 2014-15 में ₹5,608 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹13,337 करोड़ हो गया। जीएसडीपी से एफडी का प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 5.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 8.64 प्रतिशत हो गया था। ₹10,559 करोड़ की वृद्धि होने के कारण राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 में ₹2,778 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹13,337 करोड़ हो गया था। 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटे का 64 प्रतिशत लोक खाते से वित्तपोषित किया गया तथा शेष 36 प्रतिशत को बाजार उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया।

प्राथमिक घाटा/अधिशेष: वर्ष 2017-18 को छोड़कर जिसमें ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष था। प्राथमिक घाटा (पीडी) वर्ष 2014-15 में ₹2,075 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹8,128 करोड़ हो गया था। चार्ट 1.30 2014-15 से 2018-19 की अवधि में जीएसडीपी से संबंधित मुख्य घाटे के संकेतक की प्रवर्तियों को प्रस्तुत करता है।

प्राथमिक राजस्व शेष: राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियों तथा उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच के अंतर को बताता है। उस सीमा को दर्शाता जिससे सरकार की गैर-ऋण प्राप्तियां पूंजीगत लेखा पर हुए व्यय को पूरा करने में सक्षम थी। 2018-19 में राज्य ने ₹350 करोड़ की राशि का प्राथमिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया। (तालिका 1.36)।

राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे का प्रभाव

राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा अधिक तथा कम दर्शाया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है।

तालिका 1.33: प्रभावी राजस्व तथा राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (कम कर के)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम कर के)	निवल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		निवल प्रभाव लेने के बाद अनुपात (प्रतिशत में)	
			आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी	आरएस/ जीएसडीपी	एफडी/ जीएसडीपी
पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत सहायता अनुदान	1,874.17	--				
पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत पीडीएस के रखरखाव प्रभार/ यातायात तथा परिचालन लागत	286.21	--	3.15	8.64	4.62	8.63
वजीफा तथा छात्रवृत्ति पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किए गए।	0.19	--				

(सहायिकी) पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किए गए।	99.18	--				
पूंजीगत व्यय के अंतर्गत बुक किया गया वेतन ।	2.24	--				
गारंटी शोधन निधि में कम अंशदान किया गया।	11.07	11.07				
एसडीआरएफ को हस्तांतरित नहीं की गई राशि हस्तांतरण में) (विलंब के कारण ब्याज	0.18	0.18				
एनपीएस को हस्तांतरित नहीं की गई राशि हस्तांतरण में विलंब) (के कारण ब्याज	4.64	4.64				
कुल निवल प्रभाव	2,277.88	15.89				

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण तथा आरक्षित निधियों में ब्याज/ निधियों के कम हस्तांतरण के कारण ₹4,859 करोड़ का राजस्व घाटा ₹2,277.88 करोड़ तक दर्शाया गया तथा आरक्षित निधियों में ब्याज/ निधियों के कम हस्तांतरण के कारण राजस्व घाटे को भी ₹15.89 करोड़ तक कम दर्शाया।

1.11.2 राजकोषीय घाटा तथा इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय स्वरूप में हुए संरचनात्मक बदलाव निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं:

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसका वित्तीय स्वरूप

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटे के घटक					
1. राजस्व अधिशेष/घाटा (-)	(-)390	(-)640	(+)2,166	(+)7,595	(-)4,859
2. पूंजीगत व्यय	(-)5,134	(-)7,331	(-)8,286	(-)10,353	(-)8,413
3. निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)84	(-)90	(-)57	(-)21	(-)65
4. राजकोषीय घाटा	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778	(-) 13,337
राजकोषीय घाटे का वित्तीय स्वरूप					
1. बाजार उधार	1,811	3,926	3,815	3,152	4,803
2. भारत सरकार से ऋण	(-)100	(-) 96	(-)90	(-)84	(-)113
3. लघु बचते, पीएफ इत्यादि	2,232	2,886	1,846	1,556	5,323
4. जमा तथा अग्रिम	376	112.39	949	1,084	554
5. उंचत तथा विविध	(-)237	(-)131	(-)93	(-)140	404

6.	प्रेषण	2,545	(-) 208	(-)690	(-)2,955	2,001
7.	आरक्षित निधियां	(-)677	214	334	290	322
8.	नकद शेष की गिरावट (+)/नकद शेष से अभिवृद्धि (-)	(-)338	(+)874	(+)98	(-)125	(+)43

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

तालिका 1.35: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1. बाजार उधार	25,332	20,529	4,803
2. जीओआई से ऋण	4	117	(-)113
3. लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	8,857	3,534	5,323
4. जमा तथा अग्रिम	4,914	4,360	554
5. आरक्षित निधियां	695	373	322
6. उचंत तथा विविध	1,053	649	404
7. प्रेषण	2,741	740	2,001
8. कुल मिलाकर अधिशेष (-) घाटा (+)	43,596	30,302	13,294
9. वृद्धि (-) कमी (+) नकद शेष में	554	511	(+)43
10. सकल राजकोषीय घाटा	44,150	30,813	13,337

(स्रोत: राज्य वित्त के लेखें)

घाटे/ अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे (एफडी) से राजस्व घाटे (आरडी) का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे तथा पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) में प्राथमिक घाटे का द्विभाजन राज्य के वित्तीय साधनों में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाएगा। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि किस हद तक उधार ली गई निधि का उपयोग वर्तमान खपत के लिए किया गया था। इसके अलावा, राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का निरन्तर अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार सिकुड़ रहा था तथा उधारी (राजकोषीय घाटा) के पास कोई भी पूर्तिकर परिसंपत्ति नहीं थी।

तालिका 1.36: प्रारंभिक घाटा/ अधिशेष - घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (3-4)	9 (2-7)
2014-15	28,942	28,939	25,796	5,134	87	31,017	3,143	(-) 2,075
2015-16	35,785	35,781	32,701	7,331	94	40,126	3,080	(-) 4,341
2016-17	41,997	41,978	35,245	8,286	76	43,607	6,733	(-) 1,610
2017-18	48,516	48,512	36,253	10,353	25	46,631	12,259	(+) 1,885
2018-19	51,235	51,231	50,881	8,413	69	59,363	350	(-) 8,128

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्ति तथा ऋण तथा अग्रिमों की वृद्धि शामिल थी जो प्राथमिक राजस्व व्यय से अधिक थी।
- 2014-15 में कुल प्राथमिक व्यय ₹31,017 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹59,363 करोड़ हो गया था। यह प्राथमिक राजस्व व्यय में ₹25,085 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था, जबकि पूंजीगत व्यय में ₹3,279 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- 2014-15 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष जो ₹3,143 करोड़ था, 2017-18 में यह बढ़कर ₹12,259 करोड़ हो गया था तथा 2018-19 के दौरान यह घटकर ₹350 करोड़ हो गया।
- 2014-15 में प्राथमिक घाटा जो ₹2,075 करोड़ था, 2017-18 के दौरान ₹1,885 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में बदल गया तथा 2018-19 में पुनः प्राथमिक घाटा ₹8,128 करोड़ है।

तालिका 1.37: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्वघाटा (-) /अधिशेष (+)	(-)390	(-)640	(+)2,166	(+)7,595	(-)4,859
निवल पूंजीगत व्यय	(-)5,134	(-)7,331	(-)8,286	(-)10,353	(-)8,413
निवल ऋण तथा अग्रिम	(-)84	(-)90	(-)57	(-)21	(-)65
राजकोषीय घाटा	(-)5,608	(-)8,060	(-)6,177	(-)2,778	(-)13,337

राजकोषीय घाटा 2014-15 में ₹5,608 करोड़ से 2018-19 में ₹13,337 करोड़ तक बढ़ा। 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटे का 63 प्रतिशत शुद्ध पूंजीगत व्यय के कारण था तथा 36 प्रतिशत राजस्व घाटे के कारण था।

1.12 निष्कर्ष

एक विशेष दर्जे का राज्य होने के नाते राज्य का केंद्र सरकार से केंद्रीय करों तथा अनुदानों में अधिक हिस्सा था। केंद्रीय संसाधनों पर राज्य की निर्भरता 2014-15 में 71 प्रतिशत से 2018-19 में 72 प्रतिशत तक बढ़ी। पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल पूंजीगत व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) में ₹5,221 करोड़ से ₹8,482 करोड़ तक वृद्धि हुई थी। राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) 2014-15 में ₹6,334 करोड़ से 2018-19 में ₹9,826 करोड़ तक बढ़ा।

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 5.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में अधिक वृद्धि केंद्रीय करों/शुल्कों तथा अनुदान सहायता के राज्य के हिस्से में वृद्धि के कारण से हुई थी।

सहायता अनुदान में 2017-18 में ₹22,702 करोड़ से 2018-19 में ₹23,066 करोड़ तक ₹364 करोड़ की वृद्धि हुई थी। 2018-19 के दौरान राज्य सरकार भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राजस्व प्राप्तियों के 45 प्रतिशत की सीमा तक निर्भर है।

2018-19 के दौरान राज्य के स्वयं के ₹14,175 करोड़ के संसाधन ₹38,186 करोड़ की इसकी प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सहायिकी) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा सहायिकी के कारण प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत बनता है।

2018-19 की समाप्ति पर ₹511 करोड़ का नकद शेष ₹2,486 करोड़ की चिन्हित आरक्षित निधियों से कम था जिसका तात्पर्य यह है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अभीष्ट प्रयोजन के अलावा अन्य हेतु किया गया था।

2018-19 के दौरान विकास पूंजीगत व्यय में कमी यह दर्शाती है कि सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में विकास कार्यों तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रति कम व्यय किया है।

31 मार्च 2019 तक बकाया बाजार ऋण ₹30,947 करोड़ था जोकि ₹42,221 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण का 73 प्रतिशत था। बाजार उधारियों में 2017-18 में ₹25,526 करोड़ से 2018-19 में ₹25,332 करोड़ तक ₹194 करोड़ की कमी हुई।

निवल ऋण उपलब्धता 2017-18 में ₹29 करोड़ से 2018-19 में ₹1,408 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

राज्य का 2017-18 में ₹1,885 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष 2018-19 के दौरान ₹8,128 करोड़ के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। राज्य का 2017-18 में ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2018-19 में ₹4,859 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया। राज्य सरकार 14वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के अनुसार राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी। राजकोषीय घाटा (एफडी) 2017-18 में ₹2,778 करोड़ से 2018-19 में ₹13,337 करोड़ तक बढ़ गया।

